ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अप्रैल 2018

अंक 02

विषय सूची

अप्रैल 2018
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- मुक्त व्यापार नीति और ट्रेड वार के वर्तमान आयाम
- समुद्री पर्यावरण में तेल रिसाव प्रबंधन पर भारत की वर्तमान नीति
- वैश्विक कार्बन उत्सर्जन: विकराल होता स्वरूप
- भारत मे बाल-विवाह की वर्तमान स्थिति
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को सशक्त करने की नई पहल
- कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों?
- आतंक विरोधी सम्मेलन के निहितार्थ

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 22-28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29-37

सात महत्वपूर्ण तथ्य 38

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 39

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 40

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मुक्त व्यापार नीति और ट्रेड वार के वर्तमान आयाम

चर्चा का कारण

हाल ही में 19-20 मार्च 2018 के मध्य, नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओं) की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएँ हुईं। विभिन्न देशों ने इस मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने के लिए भारत द्वारा की गई पहल की सराहना की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी विश्वास उत्पन्न करने के साथ-साथ सुरक्षा एवं कृषि जैसे साझा मुद्दों पर विचार करने के लिए संबंधित देशों को एकजुट करना था। भारत का मानना है कि विभिन्न देशों में मतभेदों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय संवाद से बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस अवसर पर भारत ने नियम आधारित ऐसी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जो समावेशन समग्रता और आम सहमति पर आधारित है।

भारत ने वर्तमान परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समक्ष वर्तमान में उपस्थित चुनौतियों से निपटना आवश्यक है। भारत ने इस बात को रेखांकित किया कि दोहा और बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। भारत ने अन्य विकसित देशों के प्रति करुणामय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर पुन: विशेष बल दिया है।

डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक राबर्टो एजेवेडो ने इस अवसर पर कहा कि ब्यूनस आयर्स में आयोजित 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद राजनीतिक स्तर पर संवाद का पहला अवसर नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ही संभव हुआ। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों ने स्थिति की गंभीरता को भली-भांति समझा है और उन्होंने माना है कि सामूहिक प्रयासों से ही विभिन्न समस्याओं के हल निकालने होंगे।

उन्होंने कहा कि वैसे तो विश्व भर में व्यापार संबंधों में तनाव व्याप्त हैं और कुछ देशों द्वारा लिए जाने वाले एकतरफा निर्णय भी चिंता का विषय बने हुए हैं। लेकिन फिर भी सदस्य देश समाधान निकालने के लिए आपस में सक्रियता के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समक्ष तनाव के वर्तमान मुद्दे

(i) भारत-अमेरिका ट्रेड वार

अमेरिका ने पिछले दिनों स्टील और एल्युमिनियम के उत्पादों पर फीस बढ़ाने का ऐलान करके एक नया ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। भारत का रुख अमेरिका के इस ऐलान पर काफी सख्त है। अमेरिका ने अपने इस नए ऐलान में यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मैक्सिको को छूट दी है। अमेरिका के इस दोहरे रवैये से भारत खासा नाराज है और उसने अब अकेले ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन यानी WTO में अमेरिका के खिलाफ जाने का मन बना लिया है। हालांकि, भारत का स्टील और एल्युमिनियम निर्यात में ज्यादा हिस्सा नहीं है फिर भी भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका भारत को आधे दर्जन निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए WTO में घसीटने की धमकी दे रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में भारत की निर्यात सब्सिडी को चुनौती दी थी।

(ii) अमेरिका द्वारा भारत की निर्यात सब्सिडी के डबल्यूटीओं में चुनौती का मामला

14 मार्च 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (United state trade representative USTR) कार्यालय ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को चुनौती दी। यूएसटीआर ने आरोप लगाया कि भारत के कई प्रोग्राम भारतीय निर्यातकों को ऐसी सहूलियत देते हैं कि वे अमेरिका में अपना सामान सस्ते दामों में बेंच सकें और इस प्रकार की नीतियाँ अमेरिका के कर्मियों और विनिर्माताओं के खिलाफ हैं। यूएसटीआर की प्रमुख शिकायत यह है कि भारत सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों के समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। अत: अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान प्रणाली के अन्तर्गत भारत के साथ परामर्स प्रक्रिया के प्रावधान के तहत वार्ता की मांग की है। भारत ने भी इस प्रक्रिया में शामिल होना स्वीकार करते हुए कहा है कि अमेरिका को भारतीय पक्ष से अवगत कराया जाएगा।

एक वक्तव्य में यूएसटीआर ने यह आरोप लगाया है कि भारत की नीतियां कुछ खास टैक्स और फी को माफ कर देती हैं जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलता है। इन नीतियों से स्टील, दवाइयां, केमिकल, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल आदि निर्यातकों को लाभ मिलता है। भारत सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक हर साल इन नीतियों से भारतीय निर्यातकों को 7 अरब डॉलर का लाभ होता है। यूएसटीआर के मुताबिक, ऐसी सब्सिडी योजनाएँ बाजार प्रतियोगिता में लाभार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ खास विकासशील देशों को निर्यात में ऐसी सब्सिडी दिए जाने से छूट है। इन देशों में 2015 तक भारत भी शामिल था लेकिन अब वह इनमें शामिल नहीं है और उसने अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडी को वापस भी नहीं लिया है। यूएसटीआर का यह भी आरोप है कि भारत ने इन सब्सिडी को हटाने के बजाए इन प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ावा दिया है।

(iii) अमेरिका द्वारा चीन से आयात पर टैरिफ का मामला

ट्रंप ने पिछले दिनों अमेरिका आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका का मानना है कि पेटेंट को लेकर चीन लगातार समय सीमा का उल्लंघन कर रहा है। ट्रंप बहुत समय से व्यापार असंतुलन कम करने की बात कहते रहे हैं। अमेरिका जिन देशों के साथ

व्यापार कर रहा है, उसमें चीन के साथ उसका व्यापार असंतुलन सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापार असंतुलन पर मोर्चा खोलते हुए बड़ी व्यापारिक जंग का ऐलान किया। जिसमें चीनी वस्तुओं के आयात पर 60 अरब डॉलर का शुल्क (टैरिफ) लगा दिया गया। इसके बाद हाल ही में अमेरिका ने 1300 चीनी उत्पादों के लिए नई टैरिफ की लिस्ट जारी की जिसमें अमेरिका फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, मेडिकल डिवाइसेज, एयरक्राफ्ट पाट और बैटरियों आदि पर 25% टैरिफ लगाएगी। चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर तीन अरब डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। 25 साल के इतिहास में चीन के साथ अमेरिका की ये सबसे तीखी व्यापारिक तनातनी है। माना जा रहा है कि ये तनाव एक नए किस्म के वार में बदल सकता है, जिसे वतमान में ट्रेड वार की संज्ञा दी गई है।

क्या है ट्रेड वॉर?

ट्रेड वॉर को कारोबार के जरिए युद्ध कह सकते हैं। किसी दूसरे युद्ध की तरह इसमें भी एक देश दूसरे पर हमला करता है। पलटवार के लिए तैयार रहता है। इसमें हथियारों की जगह करों का इस्तेमाल करके विदेशी सामान को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी कर बढ़ाता है तो दूसरा देश भी इसके जवाब में ऐसा ही करता है और इससे दोनों देशों में टकराव बढ़ता है। इससे देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं जिससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता है। अर्थात ट्रेड वार मुक्त व्यापार(फ्री ट्रेड) के बड़े पैमाने पर होने वाले लाभों के सम्बन्ध में हो रही गलतफहमी का परिणाम है।

विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। जिसकी स्थापना 1995 में मारकेश संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों का मंत्रीस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। वर्तमान में इसकी 11वीं मंत्रीस्तरीय सम्मेलन का आयोजन अर्जेटीना के ब्यूनस आर्यस में किया गया।

दोहावार्ता

दोहा वार्ता का संबंध 2001 में कतर में आयोजित WTO के चौथे मंत्रीस्तरीय सम्मेलन से है इसमें कृषि संबंधी मुद्दों को विकास से जोड़ते हुए विकासशील देशों को छूट देने की बात की गई थी।

विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सभी देशों ने अमेरिकी आयात शुल्क का संदर्भ लेते हुए यह चिंता जताई कि व्यापार को लेकर ऐसे एकतरफा कदमों से डब्ल्यूटीओ को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आयोजन के अंत में मीडिया को संबोधित करते हुए डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेदो ने चेतावनी दी कि विभिन्न देश अगर अमेरिका के ऐसे मनमाने कदम का विरोध करते हैं तो एक किस्म की व्यापारिक जंग की शुरुआत होने की आशंका है। परंतु यह भी दुखद था कि डब्ल्यूटीओ ने खुलकर स्वीकार किया कि वह ऐसी स्थितियों से निपटने के क्रम में कुछ खास नहीं कर सकता। अजेवेदो ने कहा कि डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का शासन संभालने वाला संगठन नहीं है और इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि वह अमेरिकी कदमों को लेकर काफी चिंतित नजर आए। यह इस बात का संकेत था कि डब्ल्यूटीओ में भी शायद बहुपक्षीय व्यापार के बचाव का बहुत अधिक मुद्दा नहीं बचा है।

ऐसा अकारण नहीं हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूटीओ को लगभग हर रोज विभिन्न देशों की शिकायतों से निपटना पड़ रहा है जहां वे धमकी देते हैं कि वे भी अमेरिका के कदमों का प्रतिरोध करेंगे। उदाहरण के लिए ताजा खबरों के मुताबिक डब्ल्यूटीओ की वस्तु व्यापार परिषद जिसकी इस सप्ताह बैठक होनी है, उसके एजेंडे में 15 संभावित व्यापारिक झगड़े निपटाने का काम है। इनमें से कई अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अजेवेदो बहुत अवांछनीय स्थिति में हैं। तात्कालिक वजह जरूर अमेरिका के कदम हैं लेकिन सच तो यह है कि बहुपक्षीय व्यापारिक रुख रखना सभी सदस्य देशों का कर्तव्य है। बड़े देशों पर यह बात उतनी ही ज्यादा लागू होती है। इनमें अमेरिका भी शामिल है। अगर वे इससे बाहर रहने का फैसला करते हैं और डब्ल्यूटीओ के मानकों को मानने से इनकार करते हैं तो छोटे व्यापारिक साझेदार तो स्वत: इससे बाहर हो जाएंगे क्योंकि हर देश की अपने नागरिकों के प्रति कुछ जवाबदेही होती है। उदाहरण के लिए भारत को खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न का भंडारण करने की आवश्यकता है। अगर बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश डब्ल्यूटीओ जैसी बहुपक्षीय संस्था को लेकर अविश्वास मत रखते हैं तो उसका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। डब्ल्यूटीओ के लिए तो यह वक्त खासतौर पर बुरा है क्योंकि कई देश उसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं। दोहा दौर की वार्ता भी अंतहीन ढंग से खिंची चली जा रही है।

बीते दो दशकों में डब्ल्यूटीओ कुछ खास प्रगति नहीं कर पाया है और इसके लिए कई वजह जिम्मेदार रही हैं। फिर चाहे वह मूल समझौतों की एकतरफा प्रकृति हो, अमीर और गरीब देशों का विभाजन हो या सब्सिडी, कृषि और खाद्य सुरक्षा में सब्सिडी को लेकर एक के बाद एक बैठकों में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का आक्रामक रुख। डब्ल्यूटीओ की विवाद निस्तारण व्यवस्था को पंगु बनाने के प्रयासों को लेकर भी चिंता जताई गई है। अमेरिका ने सर्वोच्च व्यापार विवाद निस्तारण संस्था में तीन नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया को बार-बार बाधित किया है। विश्लेषकों ने भी चेतावनी दी है कि इस गतिरोध को अगर समाप्त नहीं किया गया तो इससे दिसंबर 2019 आते-आते अपीलीय संस्था निष्क्रिय हो सकती है। इसके बावजूद डब्ल्यूटीओ को व्यापारिक बहुपक्षीयता के लिए समर्थन जुटाना चाहिए क्योंकि सभी देशों को बाजार पहुंच और सीमा शुल्क आदि के क्षेत्र में साझा सहमति वाले अनुशासन की आवश्यकता है।

विश्व व्यापार संगठन में भारत से संबंधित अन्य मुद्दे

(i) कृषि सब्सिडी व बौद्धिक संपदा

- कृषि के क्षेत्र में विकसित देशों ने छोटे कृषकों के हितों की पूर्णत: अनदेखी की है। कृषि और बौद्धिक संपदा, दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर विकसित देशों द्वारा एकतरफा नियम बनाने से भारत जैसे विकासशील देश परेशान हैं। भारत की मांग है कि विकासशील देशों को अपने देश के गरीब वर्ग को सब्सिडी पर भोजन उपलब्ध कराने के बारे में नियम बनाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। वही विकसित देश इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का उल्लंघन मानते हैं और इसे संगठन के नियमों के विरुद्ध बताते हैं।
- वर्तमान में भारत की मांग को 'पीस क्लॉज' के तहत स्वीकार कर लिया गया है, किंतु भारत की मांग है कि खाद्य सुरक्षा के लिये गरीब वर्ग को सब्सिडी पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु संगठन में हमेशा के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिये। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका।

(ii) व्यापार को सरल बनाने का विषय

- व्यापार को सरल बनाने (Trade Facilitation) के लिये देशों के बीच व्यापार सुविधा समझौते की रुपरेखा का निर्माण किया गया है। इसमें उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें आपसी व्यापार के शुल्क को कम किया जा सके।

- साथ ही, इस समझौते में देशों को अपने सीमा शुल्क एवं सुविधाओं में परिवर्तन भी करना होगा। गरीब देशों के लिये यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि सीमा पर आधुनिक सेवाओं के लिये धन लगाना उनके लिये संभव नहीं है। विकासशील देशों ने शुरुआत में इसका विरोध करते हुए भी इसे बाली सम्मेलन में स्वीकृत दे दी।

(iii) ई-कॉमर्स और निवेश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने का विषय

- 2017 में ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुई 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में इलेक्ट्रॉनिक, ई-कॉमर्स और निवेश को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे छोटे दर्जे के व्यापारियों के लिये नए बाज़ार खुल जाएंगे। ई-कॉमर्स से व्यापार के परंपरागत तरीके को बदला जा सकेगा।
- समस्या यह है कि वर्तमान में विकासशील और गरीब देशों में इंटरनेट का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इससे ई-कॉमर्स का वाकई लाभ उठाने पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। विकासशील देशों ने ई-कामर्स के ज़रिये दूसरे देशों के बाज़ारों से जुड़ने हेतु उनके संसाधनों में भी वृद्धि करने की माँग की है।
- निवेश पर भी देश आपस में बंटे हुए हैं। विकासशील देशों ने पहले भी इस पर सवाल उठाए थे कि निवेशक देश के अगर निवेश किए जाने वाले मेजबान देश से कुछ विवाद हैं, तो उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय पैनल में सुलझाया जाएगा? ई-कॉमर्स और निवेश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने से अमीर एवं गरीब देशों के बीच तनाव पहले से और बढ़ गया है।

निष्कर्ष

पिछले लगभग 27 वर्षो से चल रही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और 23 वर्षां से विश्व व्यापार संगठन के रूप में चल रही नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली के चलते टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने की प्रवृत्ति रही और मुक्त व्यापार एक परंपरा के रूप में स्थापित हुआ। विश्व व्यापार समझौतों के विपरीत यदि कोई सदस्य देश टैरिफ बढ़ाता है या गैर टैरिफ बाधाएं खड़ी करता है तो उसके कारण प्रभावित हो रहे देश विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारण व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं और इन बाधाओं से निजात पा सकते हैं। कुछ समय पूर्व तक कोई भी देश सामान्यत: घोषित रूप से संरक्षणवाद के पक्ष में तर्क भी नहीं देता था, बल्कि पूर्व में विभिन्न देशों द्वारा जो टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं लगाई भी गई थीं, वे भी क्रमशः समाप्त कर दी गई। अब अमेरिकी सरकार द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाने के बाद भारत सहित अन्य देशों को भी अपनी मुक्त व्यापार नीति पर पुनर्विचार करना होगा। वास्तव में मुक्त व्यापार एकतरफा नहीं हो सकता। हमें अपनी व्यापार नीति अन्य देशों के रुख को देखते हुए ही बनानी पड़ेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

2. समुद्री पर्यावरण में तेल रिसाव प्रबंधन पर भारत की वर्तमान नीति

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र के देश यानि बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच इस क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक बल को (आईसीजी) सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकार होगा और "क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात" योजना को लागू करने के लिए संचालन की दृष्टि से छूट प्राप्त होगा। भारतीय तटरक्षक बल भारत की ओर से तेल और रसायन के बिखराव का समुचित उत्तर देगा। आइसीजी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) समुद्री दुर्घटनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया केंद्र होगा।

परिचय

उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और प्रोत्साहन को समर्थन देने के लिए 1982 में श्रीलंका में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों ने एसएसीईपी की स्थापना की। एसएसीईपी, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (आईएमओ) के साथ संयुक्त रूप से "क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना" विकसित की ताकि बंग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के समुद्रों में तेल प्रदूषण की बड़ी घटना से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक सहायता की तैयारी की जा सके।

कच्चे तेल वैसे तो सैंकड़ों प्रकार होते हैं जो कि उनकी उत्पत्ति तथा उनके मौलिक व रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है जबकि बहुत से संशोधित उत्पाद जो कच्चे तेलों से प्राप्त किए जाते हैं, उनका अपना एक अलग गुण होता है। समुद्र में लगातार रिस रहे तेल के प्रमुख भौतिक गुण जो उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं में विशिष्ट गुरूत्व, आसवन विशेषताएं, चिप-चिपाहट और प्रवाह बिंदु शामिल हैं। ये सभी रासायनिक संरचना अर्थात तेल में असफालटेन्स, रेजिन और मोम की कितनी-कितनी मात्रा है, पर निर्भर करता है।

वर्तमान स्थिति

विश्व भर में तेल की भारी मात्रा का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है। भारत में कच्चे तेल की मांग का 70% समुद्री मार्ग से आयात हो रहा है। इसी प्रकार से दक्षिण-पूर्व एशिया, जापान और चीन, पश्चिमी एशिया से तेल के आयात पर प्रमुख रूप से निर्भर हैं और यह आयात भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से होकर गुजरता है। परिणामत: पूरे जहाज मार्ग, तेल सप्लाई सुविधा क्षेत्रों और पत्तनों के समीप तेल रिसाव होने का जोखिम निरंतर बना रहता है। तेल रिसाव का मौजूदा खतरा भारतीय क्षेत्र के आर्थिक व पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील सभी अधिवासों और राष्ट्रीय पार्को जैसे कच्छ की खाड़ी, केरल तट, मुम्बई तट, मन्नार की खाड़ी, काकीनाडा तट, हल्दिया और सुंदर वन आदि पर व्यापक है। कच्छ की खाड़ी में तेल टैंकरों के बीच टक्कर होने की घटनाएँ मछलियों, मैंग्रोव और अन्य समुद्री जीव जंतुओं तथा समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाती हैं।

ज्ञातव्य है कि तेल रिसाव की घटना खुले समुद्र में टैंकर के मार्ग पर या तेल अधिष्ठापनों के निकट कहीं भी किसी भी समय हो सकती है जिससे कि समुद्री तटरेखा के प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। समुद्री पर्यावरण में तेल रिसाव का समन्वय करने वाली एजेन्सियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। कच्चे तेल के मौलिक और रासायनिक गुणों के बारे में समुचित जानकारी और इस बात की समझ होना अतिआवश्यक है जिससे कि यह पता चल सके कि समुद्री सतह पर यह किस प्रकार प्रभाव डालते हैं?

तेल रिसाव के कारण

तेल रिसाव आमतौर पर खराब मौसम, हरिकेन तूफान, भूकंपीय घटनाएं, हिंसापूर्व कृत्यों जैसे युद्ध, विध्वंस या जहाज को डूबोने और मानवीय भूल के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह मानवीय कृत्यों व प्राकृतिक परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव से होता है और यह कई रूपों में मानव व प्रकृति को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में असुरक्षित समुद्री व्यापार तेल रिसाव के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है।

तेल रिसाव का प्रभाव

तेल रिसाव के प्रभाव की बात की जाय तो यह मानव स्वास्थ्य व समुद्री पारिस्थितिकी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसके प्रभाव को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं-

समुद्री पर्यावरण: समुद्री पर्यावरण पर तेल परिवहन और तेल रिसाव का प्रभाव मौलिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावी होते हैं जो तेल के गुणों, मौसम विज्ञान और पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिवहन, सतह पर फैलाव, वाष्पीकरण, विलयन, वसाकरण, जल अपघटन, प्रकाश-ऑक्सीकरण जैवीय विघटन आदि शामिल हैं। जब तेल रिसाव समुद्री सतह पर होता है, तो यह फैलकर एक पतली परत का निर्माण कर लेता है जिसे 'ऑयल स्लिक' कहा जाता है। ऑयल स्लिक का संचालन वायु प्रवाह के कारण प्रभावित होने वाली धारा तथा प्रचंड विसरण के कारण होने वाले अभिवहन से संचालित होता है।

ध्यातव्य है कि समुद्री तट पर तेल के रिसने से समुद्र में रहने वाले जीव-जंतु अपना दैनिक कार्य संचालित नहीं कर पाते हैं और एक समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसी का प्रभाव है कि कई समुद्री जीव-जंतु या तो विलुप्त हो गये हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। मैंग्रोव व वनस्पतियों के लिए भी यह हानिकारक है और इनके विनाश का कारण है। वर्तमान में पूरे विश्व में तेल रिसाव से समुद्री पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है।

एक अनुमान के मुताबिक लगभग 300 मिलियन गैलन तेल का प्रतिवर्ष समुद्र में रिसाव होता है। तेल परिवहन में उपयोग में आने वाले टैंकर एवं सुपर टैंकर से बड़ी मात्रा में तेल परिवहन के दौरान रिसाव होता है। इसके साथ ही समुद्र तट पर पेट्रोलियम तेल के उत्खनन के दौरान भी तेल की बड़ी मात्रा समुद्र में मिल जाती है। अनुमानत: 10 लाख टन तेल के समुद्री परिवहन के दौरान लगभग एक टन तेल का रिसाव होता है। इसके अतिरिक्त समुद्री तुफानों के आने से भी बड़ी मात्रा में परिवहन किया जा रहा तेल समुद्र जल में जा मिलता है। समुद्री जल में जहाजों के रिसाव या अन्य किसी कारणवश तेल के मिलने की समस्या एक गंभीर समस्या है क्योंकि एक बार समुद्र जल में तेल के मिल जाने के बाद इसे पृथक करना लगभग असंभव है। तेल का पृष्ठ तनाव कम होने से वो तुरंत पानी की सतह पर फैल जाता है जिससे कि पानी की सतह पर इसकी पतली फिल्म बन जाती है।

मानव स्वास्थ्य: दक्षिण एशिया के कई देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से सीधे मिलती है। इन देशों में मछली पकड़ना इनके रोजगार का एक बड़ा हिस्सा है। इस क्रम में इन देशों के नागरिक सीधे समुद्री जल के संपर्क में रहते हैं। जब तेल रिसाव के कारण समुद्री पर्यावरण प्रदूषित रहता है तो इसका प्रभाव मछली पकड़ने वाले मछुआरों पर भी पड़ता है जिससे इन मछुआरों की स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें बढ़ जाती है। इसके अलावा तटीय कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी तेल रिसाव का सामना करना पड़ता है जिससे इन मजदूरों और कर्मचारियों को कई तरह की बिमारियाँ हो जाती है जिसमें लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, चर्मरोग, आदि प्रमुख हैं। तेल रिसाव का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र में पाये जाने वाले कोरल पर पड़ रहा है और ये समाप्त हो रहे हैं।

व्यवसाय: विदित है कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। तेल रिसाव के कारण व्यापारिक गतिविधियाँ कई दिनों व महीनों तक बाधित रहती है जिससे जहाजों का परिचालन नहीं हो पाता और व्यवसाय प्रभावित होता है।

तेल रिसाव प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयास

चूंकि तेल रिसाव से मछलियों, प्रवालों, मैंग्रोव व अन्य जीव जंतुओं को काफी क्षति पहुंचती है इसलिए समुद्री पारिस्थितिकी पर तेल रिसाव के खतरे और उसके परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसानों की समस्या को वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से सुलझाये जाने की जरूरत है ताकि दुर्घटना के कारण होने वाले तेल रिसाव से इन संवेदनशील अधिवासों को बचाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार महासागर की क्षति की रोकथाम एवं संरक्षण हेतु समन्वय करने और नियामक उपाय करने की जिम्मेदारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है। तथापि मंत्रालय ने समुद्री पर्यावरण में तेल संचलन को समझने तथा जटिलता के विभिन्न स्तर के दो गणितीय मॉडलों का उपयोग करते हुए संसाधनों पर जोखिम की पहचान करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किया है। पहला सामान्य मॉडल है जो हिंद महासागर में तेल के संचलन और उसकी स्थिति के बारे में अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया। दूसरी समुद्री संसाधनों के संबंध में व्यापक और प्रभावी विश्लेषण करने हेतु बनाया गया विशेष मॉडल है। सामान्य मॉडल में समुद्र से भारत के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर तेल रिसाव के लिए जीएनओएमई (जनरलाइज्ड एन

ऑयलस्पिल मॉडलिंग एनवायरमेंट) कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत पैरामीटर पर भी विचार किया जाता है जिसके बारे में मॉडल के लिए प्रस्तुत की जा रही डाटा गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

तेल रिसाव मॉड्युल में जलीय पर्यावरण में तेल की चिकनाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार किया जाता है। जल क्षेत्र और वातावरण में तेल की परत की मोटाई और उसकी गतिशीलता तथा वितरण की गणना की जाती है जो कि आकस्मिक आयोजन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि देश के अंदर तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों को तेल रिसाव से होने वाली क्षति से रक्षा के लिए 1980 से तेल रिसाव प्रबंधन कार्यक्रम बना हुआ है। तेल रिसाव आपदा के मामले में संकट प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है तथा तेल रिसाव होने की स्थिति में भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए तटरक्षक बल समन्वयकारी एजेंसी है। इसके महत्वपूर्ण पहलुओं में तेल रिसाव का पता लगाने, उसके प्रबंधन करने, एवं उससे निपटने में अनुसंधान और विकास तथा कानूनी पहलू शामिल हैं। तेल रिसाव पर की जाने वाली कार्यवाहियों में तेल के बिखराव से रोकने तथा प्राकृतिक विसर्जन को बढ़ाने हेतु तथा विसर्जनों को प्राप्त करने के लिए बल्लियों तथा स्किमरों का प्रयोग किया जाता है।

इसके अलावा तेल रिसाव न हो इसके लिए समुद्री तटों पर जहाजों का सही परीक्षण किया जाता है। जहाजों के टक्कर से बचाव के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है। जहाजों में तेलों के भरने के समय भी पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है जिससे कि तेल का रिसाव न हो। साथ ही तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रदूषित जलीय जंतुओं के खाने पर मनाही है। तटरक्षक बल को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि समुद्री दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

निष्कर्ष

समुद्री क्षेत्र में तेल व रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत के द्वारा उठाया कदम प्रशंसनीय है। जिस तेज गति से तेल रिसाव के कारण समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है उसे देखते हुए न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशियाई और पूरे विश्व को मिलकर काम करना होगा जिससे कि समुद्री पारिस्थितिकी को बचाया और स्वच्छ रखा जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

3. वैश्विक कार्बन उत्सर्जनः विकराल होता स्वरूप

चर्चा का कारण

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन 32.5 गीगाटन की ऊँचाई पर पहुँच गया जो अब तक के कार्बन उत्सर्जन में सर्वाधिक है। कार्बन उत्सर्जन में इस वृद्धि का कारण ऊर्जा की ऊँची माँग और दक्षता में सुधार की धीमी गति थी।

आईईए के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा की माँग 2017 में (2.1 प्रतिशत) बढ़कर 14,050 मिलियन टन तेल के बराबर हुई है, जो पिछले साल की तुलना में दो गुना अधिक है। आईईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा माँग के 70 प्रतिशत से अधिक विकास गैर-नवीकरणीय स्त्रोतों जैसे-तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला द्वारा हुआ था, जबकि बाकी हिस्सों के लिए अक्षय ऊर्जा का योगदान था। वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वर्ष 2017 में उल्लेखनीय वृद्धि से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए मौजूदा प्रयास पर्याप्त नहीं है।

आईईए रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि के मामलों में 2/3 एशियाई देशों का योगदान है। अकेले चीन का उत्सर्जन 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 गीगाटन तक पहुँच गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के अधिक उपयोग के चलते यह वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा उत्पादन के अन्य स्त्रोतों का चीन द्वारा उपयोग किये जाने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है जिसके चलते कुल कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व ऊर्जा संकट के दौरान सहभागी देशों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना और तेल आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में तेल बँटवारे के लिये एक तंत्र विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण प्रमुख तेल आयातक देशों का एक समूह है। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 29 है। आईईए के चार प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता और विश्व में ऊर्जा के प्रति वचनबद्धता है।

वर्तमान परिदृश्यः विश्व

यूरोपीय आयोग और नीदरलैण्ड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी किए गए "एडगर डेटाबेस" के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाईऑक्साइड गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन है जबकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है। इस रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैसों में अन्य गैसों जैसे मिथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड की गणना को शामिल नहीं किया है।

- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार चीन प्रतिवर्ष लगभग 10,641 मिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन करता है जो दुनिया के कुल प्रदूषण का 30% है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति वर्ष 5,414 मिलियन मीट्रिक टन उत्सर्जन के साथ दूसरे स्थान पर है, यह विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का 15 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जित करता है।
- रूस प्रतिवर्ष लगभग 1,617 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है जो विश्व में कुल कार्बन उत्सर्जन का 5% है।
- जापान प्रतिवर्ष लगभग 1,237 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 4% है।
- जर्मनी प्रतिवर्ष लगभग 798 मिलियन टन का उत्सर्जन करता है।
- ईरान प्रतिवर्ष 648 मिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन करता है।
- सऊदी अरब प्रतिवर्ष लगभग 601, दक्षिण कोरिया लगभग 592, जबकि कनाडा प्रतिवर्ष लगभग 557 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं।

यदि प्रतिव्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नज़र डालें तो पता चलता है कि विश्व में अमेरिका का एक नागरिक हर साल लगभग 16

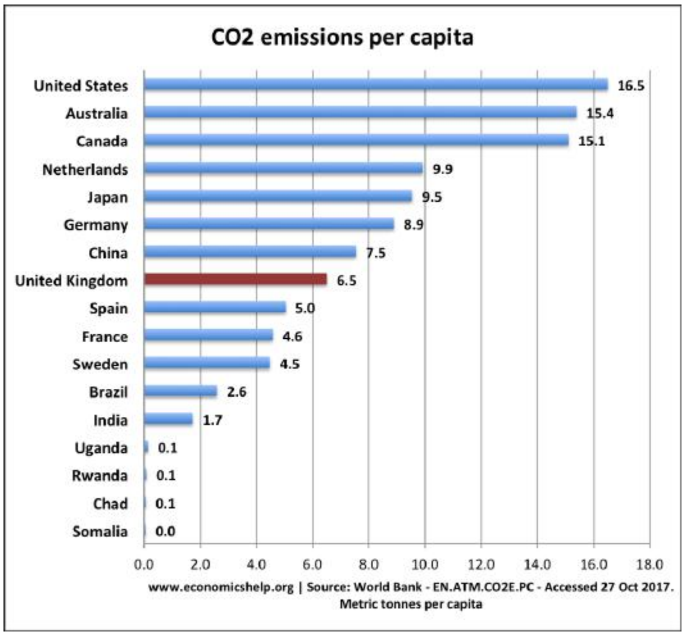

मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। इसके बाद कनाडा, रूस, जापान और जर्मनी का स्थान है।

एशिया में कार्बन उत्सर्जन

आईईए रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि के मामलों में दो-तिहाई एशियाई देशों का योगदान है। अकेले चीन का उत्सर्जन 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 गीगाटन तक पहुँच गया है। वहीं भारत की बात की जाए तो कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में भारत का वार्षिक कार्बन उत्सर्जन लगभग 25 लाख टन है। नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के अधिक उपयोग के चलते यह वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा उत्पादन के अन्य स्त्रोतों का चीन द्वारा अधिक उपयोग किये जाने के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है जिसके चलते कुल कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। भारत प्रतिवर्ष 2,274 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है जो दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 7% है। वहीं अगर प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो भारत में प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.7 मीट्रिक टन है।

कार्बन उत्सर्जन के कारण

कार्बन उत्सर्जन के मुख्यतः दो कारण हैं, पहला प्राकृतिक तथा दूसरा मानवीय। प्राकृतिक कारणों में देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन में योगदान जुगाली करने वाले जानवर, पेड़-पौधों द्वारा श्वसन की क्रिया, मिट्टी, मृतजीवों का अपघटन, समुद्र द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जंगल की आग आदि प्रमुख कारण हैं।

प्राकृतिक कारणों से उत्सर्जित कार्बन को प्रकृति द्वारा पुनः नियंत्रित किया जाता है। लेकिन मानव जनित कारण ने इस पद्धति को परिवर्तित कर दिया है। मानवजनित कारणों ने उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि की है।

कार्बन उत्सर्जन के मानवीय कारण

कार्बन उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार अधिकांश कारक मानव कृत्यों के विनाशकारी परिणाम हैं। विकास और प्रगति की अंधी दौड़ में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। नदियों की प्राकृतिक धाराओं को अवरुद्ध किया जा रहा है। मानव की खुशी और सुविधा के लिए नए संसाधनों को इकट्ठा करने हेतु पेड़ों और जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों, कारखानों और करोड़ों वाहन चलाने की वजह से उच्च कार्बन उत्सर्जित हो रहा है जिससे हमारी पृथ्वी असामान्य रूप से गर्म होती जा रही है।

वनों की कटाई

कार्बन उत्सर्जन का एक कारण है जंगलों की अंधाधुंध कटाई। वन स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करते हैं लेकिन उनकी कटाई के कारण हम इस प्राकृतिक संरक्षण को खो रहे हैं। औद्योगिक और खनन गतिविधियों के लिए वनों को काटा जा रहा है। वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग का जोखिम 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण

बढ़ती आबादी के कारण मानव की जरूरतें बढ़ रही हैं। दुनिया के सभी जीवों को मनुष्यों की जरूरतों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण और शहरीकरण है। कारखानों की चिमनी और परिवहन के आधुनिक साधनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन, शामिल होते हैं। उद्योगों, कारखानों, वाहनों आदि से उत्पन्न धुआं पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पिछले सौ वर्षों में आधुनिक उद्योगों ने बहुत ज्यादा विस्तार किया है। आजकल आम जरूरतों की छोटी-छोटी वस्तुओं की सूची इतनी लंबी होती जा रही है कि उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कारखाने वातावरण में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते हुए अपने उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं।

विद्युत उत्पादन

आज बिजली की आवश्यकता दुनिया में बढ़ रही है। बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण पिछले 20 सालों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के घनत्व में तीन तिमाहियों की वृद्धि हुई है। यह दुनिया भर में एक चौथाई वन के नुकसान का कारण है।

विविध मानव क्रियाएँ

कुछ अन्य मानवीय गतिविधियाँ भी तापमान में वैश्विक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं स्टोव पर खाना पकाना, रेफ्रिजरेटर का उपयोग, कचरा संग्रह से उत्सर्जन, कोयले या लकड़ी का जलाया जाना, पेड़ों को काटने, जंगल की आग आदि शामिल हैं।

जीवाश्म ईंधन

जीवाश्म ईंधन का बेतहासा दोहन भी कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः पेट्रोल, डीज़ल, प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाता है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार कुल 41 अरब मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में से 37 अरब उत्सर्जन के लिए जीवाश्म ईंधन व उद्योग जगत जिम्मेदार हैं। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि का एक कारण विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं। विकासशील देश अपनी जीडीपी को बनाए रखने के लिए भी कार्बन उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं।

कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं-

1. **ग्लेशियरों का पिघलनाः** ताप बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और उनका आकार कम होने लगता है।
2. **समुद्री जलस्तर में वृद्धिः** ग्लेशियरों के पिघलने से प्राप्त जल जब सागरों में मिलता है तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाती है।

   नदियों में बाढ़ ग्लेशियरों से कई बारहमासी नदियां निकलती है और ग्लेशियर के जल को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। यदि ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ जाएगी तो नदी में जल की मात्रा बढ़ जाएगी जोकि बाढ़ का कारण बन सकती है।
3. **वर्षा-प्रतिरूप में परिवर्तनः** वर्षा होने और बादलों के बनने में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः ताप में वृद्धि के कारण वर्षा-प्रतिरूप या पैटर्न भी बदल जाएगा अर्थात कहीं वर्षा पहले से कम होगी तो कहीं पहले से ज्यादा होने लगेगी। वर्षा की अवधि में भी बदलाव आ जाएगा।

4. **प्रवाल भित्ति का विनाशः** समुद्री-जल के ताप बढ़ने से प्रवाल भित्ति का विनाश होने लगता है। वर्तमान में लगभग एक तिहाई प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व ताप वृद्धि के कारण संकट में पड़ गया है

5. **समुद्री-जल के ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाशः** समुद्री-जल के ताप बढ़ने से प्लैंकटन का विनाश होने लगता है। प्लैंकटन समुद्री जल प्राथमिक जीव हैं। अल्युशियन द्वीप का पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें व्हेल, समुद्री शेर, मछलियाँ, सी अर्चिन आदि अन्य जलीय जीव शामिल हैं, अब प्लैंकटन की कमी के कारण सिकुड़ गया है।

6. **प्रवसन में वृद्धिः** ताप में वृद्धि होने से सागरीय जलस्तर ऊपर उठेगा तो तटीय क्षेत्र व द्वीप जलमग्न हो जाएंगे और तटीय क्षेत्र के निवासी आंतरिक भागों की ओर प्रसाव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

7. **जलवायु परिवर्तनः** मानव की विभिन्न गतिविधियों जैसे शहरीकरण, बढ़ते परिवहन, परमाणु बिजलीघर आदि के कारण जलवायु परिवर्तित हो रहा है। जैसे वैश्विक शीतलन में कमी, गर्मी की वजह से लगातार ग्लेशियरों का पिघलना, नदियों का सूखना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण कोरल रीफ के स्तीत्व पर संकट, वनस्पतियों का सूखना आदि से पर्यावरण को अतुलनीय अति पहुँची है।

8. ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई पशु-पक्षी व जीव-जन्तु या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं।

9. **मानव स्वास्थ्य पर असरः** बढ़ते तापमान से मानव स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। चर्म रोग, कैंसर की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। गर्मी जनित रोगों में वृद्धि हुई है। रक्तशोध हैजा, पेंचिस आदि रोगों में वृद्धि हुई हो रही है।

आगे की राह

- वैश्विक तापमान में वृद्धि की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के पश्चात 'यूएनएफसीसी' का गठन किया था। 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकाल को स्वीकार किया गया इसके तहत दुनिया के उत्सर्जन को घटाकर 1995 के स्तर से 5 प्रतिशत नीचे लाने का प्रावधान किया गया।

पर्यावरण के क्षरण और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के तरीके खोजने के लिए मानव जाति को एक होना चाहिए। गरीब देशों, जो मुख्य रूप से अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर हैं, को पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटने में सक्षम होने के लिए सहायता की आवश्यकता है। दुनिया भर के राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लक्ष्य के साथ 195 देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। कार्बन उत्सर्जन को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत नियंत्रित किया जा सकता हैः

1. **जागरूकता बढ़ानाः** ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए पहली बात यह है कि हर देश के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। जागरूकता स्पष्ट रूप से ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. **कार्बन फुट प्रिंट (प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को पैमाने के मापने) को कम करनाः** हमें सीएफसी गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए जो रिफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अन्य शीतलन मशीनों के उपयोग को कम करके किया जा सकता है। वाहनों और औद्योगिक इकाइयों की चिमनी से उत्पन्न धुआं बेहद हानिकारक है क्योंकि उनके उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के समाधानों में से एक यह है कि औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

3. **प्लास्टिक उपयोग को कम करनाः** प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर साल 1 मिलियन समुद्री स्तनधारी और 10 मिलियन समुद्री पक्षी प्लास्टिक को निगलने से मरते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट को ठीक से निपटाने की जरूरत है बजाए इसको यहाँ-वहां फेंकने के।

4. **पौधे और संरक्षित पेड़ः** मिट्टी को बचाने स्वच्छ हवा और पर्यावरण के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए पौधों का रोपण करना आवश्यक है। आज शहरीकरण की मांगों को पूरा करने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है। पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्त्रोत हैं वृक्षारोपण ग्लोबल वार्मिंग के महान समाधानों में से एक हो सकता है। फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पेड़ न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हमें दुनिया को अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता से अवगत करना चाहिए। जंगल के संरक्षण पर भी जोर देना चाहिए।

5. **वैकल्पिक ऊर्जा अपनानाः** ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के महत्वपूर्ण तरीकों में कोयले द्वारा उत्पादित बिजली की बजाए नवीकरणीय ऊर्जा उपायों की आवश्यकता होती है अर्थात् पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलविद्युत। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो पानी का उपयोग कम हो जाता है और यह पृथ्वी को हरा-भरा रहने में मदद करता है। इन दिनों सौर पैनल आसानी से स्थापित करने के लिए उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकारी एजेंसियों और ऊर्जा कंपनियों द्वारा प्रोत्साहन और छूट दी जा रही है।

6. **अक्षय ईंधन विकल्प को तलाशनाः** कारों के लिए खरीदारी करते समय उन लाभों को देखें जो अक्षय ईंधन प्रदान करते हैं। बिजली, स्मार्ट कार या सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली कारों का उपयोग करें।

7. **पैदल चलने या साइकिल चलाने को प्राथमिकता देनाः** यदि आप थोड़ी दूरी तय कर रहें हैं तो आप या तो चल कर जाइए या साइकिल चला कर जाईए। कार से न जाने से आप न केवल ईंधन बचा सकेंगे बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी मदद कर सकेंगे।

8. **सड़क के साथ पेड़ लगानाः** सरकार को सड़कों का निर्माण करने वाली उन कंपनियों के साथ अनुबंध करना चाहिए जो सड़के के दोनों किनारों के खाली मैदान पर पेड़ लगाए। मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए नहरों पर पेड़ों को लगाया जाना चाहिए।

9. **पहाड़ों पर पेड़ लगानाः** पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाने के लिए अभियान शुरू किया जा सकता है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह के क्षेत्रों में फलों, फूलों, छोटी झाड़ियों और बड़ी झाड़ियों के पेड़ों को लगा सकते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

4. भारत मे बाल-विवाह की वर्तमान स्थिति

चर्चा का कारण

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने 6 मार्च 2018 को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट अनुसार भारत में 10 साल पहले 47 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दिया जाता था जो अब घटकर 27 प्रतिशत हो गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि बाल विवाह के आंकड़ों में वैश्विक स्तर पर कमी आई है, रिपोर्ट के मुताबित बाल-विवाह घटने की दर संतोषजनक है।

रिपोर्ट में दर्शाया है कि एक दशक पहले हर 4 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती थी। भारत में हुई इस कमी ने वैश्विक स्तर पर बाल-विवाहों की संख्या में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल्यवस्था में शादी करने वाली लड़कियों के अनुपात में 15 प्रतिशत की कमी आई है। युनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस सालों में ढाई करोड़ बाल-विवाह रोके गए। इसमें सबसे ज्यादा कमी दक्षिण एशिया में दर्ज की गई जहाँ भारत शीर्ष पर था। दक्षिण एशिया में बाल-विवाह 50 फीसदी से घटकर 30 फीसदी के स्तर तक पहुँच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत इस कुप्रथा को 2030 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। एक दशक पहले के मुकाबले भारत में नाबालिक लड़कियों के विवाह में 50 फीसद से अधिक गिरावट हुई जो विश्व में सर्वाधिक है।

क्या है बाल विवाह?

भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यदि उपरोक्त आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह करा दिया जाता है तो इसे भारत के संदर्भ में बाल-विवाह माना जाएगा। यूनिसेफ ने बाल विवाह को 18 साल से पहले शादी के रूप में परिभाषित किया है और यदि किसी का विवाह इस आयु के पूर्व ही कराया जाता है तो इसे मानवाधिकारों का उलंघन भी माना जाता है। बाल विवाह, लंबे समय से भारत में एक मुद्दा रहा है क्योंकि इसकी जड़ें पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समाज में व्याप्त हैं। विदेशी शासकों द्वारा बलात्कार और अपहरण से लड़कियों को बचाने के लिए भारतीयों ने बाल-विवाह का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया। बाल विवाह का एक अन्य सामाजिक कारण यह है कि घर के बड़े-बुजुर्ग जीवित रहते ही अपने परनाती-परपोते का चेहरा देख लेना चाहते हैं इसलिए बच्चों का बचपन में ही विवाह करा दिया जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

विश्व के सन्दर्भ में

- बाल-विवाह के वैश्विक परिदृश्य को देखें तो जिन 5 देशों में बाल-विवाह के सबसे ज्यादा मामले पाये जाते हैं। उन में भारत (2.6 करोड़), बांग्लादेश (39 लाख), नाइजीरिया (33 लाख), ब्राजील (29 लाख) एवं इथोपिया (19 लाख) शामिल हैं।
- इसके अलावा जिन 5 देशों में बाल -विवाह की दर सबसे ज्यादा है उनमें-नाइजर (76%), अफ्रिकन रिपब्लिक (68%), चाड़ (67%) बांग्लादेश (59) एक बुरकिना फासो (52%) शामिल हैं।
- अभी दुनिया में हर साल 1.2 करोड़ बाल विवाह हो रहे हैं।
- युनिसेफ के अनुसार दुनिया में 65 करोड़ महिलाएँ ऐसी हैं, जिनकी शादी 18 साल के पहले हो गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में दर घटकर 10% रह जाएगी। बाल-विवाह के मामलों में सबसे खराब स्थिति अफ्रीकी देशों की हैं जहाँ बाल-विवाह की दर 40% से अधिक है।
- दुनिया में होने वाले बाल-विवाहों में 3 में से 1 अफ्रीकी देशों में ही होते हैं।

भारत के संदर्भ में

दुनिया की कुल किशोर आबादी में से 20 फीसद भारत में रहती है। देश के बड़े क्षेत्रफल और बड़ी आबादी के चलते दक्षिण एशिया में सर्वाधिक बाल-विवाह भी यहीं दर्ज होते हैं। वर्तमान में यहां बाल-विवाह में धकेली गई लड़कियों की संख्या 8.52 करोड़ है, जो कि दुनिया की कुल बालिका वधुओं की संख्या का 33 फीसद यानी एक तिहाई है। हालांकि यूनिसेफ की रिपोर्ट में यह चिंता भी जताई गई है कि कई जिलों में अब भी बाल-विवाह की दर बहुत ज्यादा है, खासकर आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जाति जैसे कुछ विशेष जातियों में यह समस्या है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में बाल-विवाह की दर सबसे ज्यादा 40 फीसदी तक है, जबकि तमिलनाडु और केरल में यह 20 फीसदी से कम है।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत के अलावा इथियोपिया में भी बाल-विवाह की दर में 30 फीसदी की भारी गिरावट आई है।

बाल विवाह को रोकने के लिए कानून

भारतीय संविधान विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने का प्रबंध करता है। बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

- केन्द्र सरकार ने 1929 के बाल-विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थापना पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल-विवाह

निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में प्रयास किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल-विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कानून नवम्बर 2007 में प्रभावी हुआ। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अब तक 24 संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों ने नियम बनाये हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों ने बाल/निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की हैं। केन्द्र सरकार लगातार राज्य सरकारों से बाल-विवाह निषेध-अधिकारियों कि नियुक्ति करने की बात कहती रही है।

सरकारी पहल

- देश में यह सुधार तमाम सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सजग प्रयासों और कड़े कानूनों की बदौलत आया है।
- देश के बाल-विवाह निषेध कानून के अंतर्गत नाबालिक बच्चों के विवाह की कोशिश करने वाले अभिभावकों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल की जेल का प्रावधान है।
- बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि नाबालिग पत्नी से यौन संबंध दुष्कर्म माना जाएगा।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में बाल-विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य शामिल है। लड़कियों सहित बच्चों के संरक्षण के लिए की गई प्रमुख पहलों में बच्चों के संरक्षण के लिए 2007 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना शामिल है। ताकि बच्चों के अधिकारों को सही तरीके से और उनसे जुड़े कानून तथा कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके।
- तेलंगाना में विवाह स्थल की सजावट करने वालों और विवाह कराने वाले पंडितों को बाल-विवाह रोकने के अभियान में शामिल किया गया इससे वहां काफी सुधार हुआ।
- राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री 'अनिता भदेल' ने बाल-विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए एक अभिनव पहल किया है। इसके तहत राज्य के सभी सरपंचों को बाल-विवाह रोकने के लिए पाबंद किया है। यदि किसी सरपंच के क्षेत्र में बाल-विवाह होते हुए पाया जाता है तो वह सरपंच की जिम्मेदारी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त बाल-विवाह की सूचना संबंधित परियोजना अधिकारी, विकास अधिकारी तथा अन्य राजकीय अधिकारियों को भी दी जा सकती है।
- बिहार में बाल-विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए अनोखी पहल के तहत एक नये 'एप' की शुरूआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र पॉपूलेशन फंड द्वारा समर्थित इस एप को 270 सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन ने मिलकर तैयार किया है। इस एप का नाम "बंधन तोड़" है। इस एप के लाँचिंग समारोह में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि, बाल-विवाह सिर्फ कानून बना देने से नहीं रुकेगा इसके लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस एप कि विशेषता अगर कहीं बाल-विवाह हो रहा है तो उसे रोकने के लिए तथा लड़की तक तुरंत मदद पहुंचाने के लिए इस एप में एसओएस बटन है जिसके जरिए मदद मांगी जा सकती है। उसके मदद मांगते ही इसकी जानकारी जेंडर एलाएँन्स मुख्यालय, विभिन्न सिविल, सोसाइटी, एनजीओ आदि के पास पहुँच जाएगी।
- इस एप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी मुहैया करायी जाएगी साथ ही दहेज प्रथा और बाल-विवाह से संबंधित कानूनी जानकारी भी दी जाएगी।

बाल विवाह के कारण

भारत में बाल विवाह होने के अनेक कारण हैं। जैसे- इन कारणों में गरीबी एक बड़ा कारण है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे माता-पिता को बेटियों की सुरक्षा की चिंता रहती है उन पर सामाजिक दबाव रहता है।

- विभिन्न राज्यों में प्रचलित कुप्रथाएं-जैसे हरियाणा में कई जातियों में अभी तक प्राचीन 'आन्टस सान्टा' प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा में वर को वधू चाहिए होती है तो बदले में पत्नी पक्ष में किसी लड़के से वर पक्ष द्वारा अपनी बहन का विवाह करना होता है। ऐसे विवाह कच्ची उम्र में ही कर दिये जाते हैं।
- आज भी भारत में शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर बोझ स्मझा जाता है। इसके चलते बालिकाओं को कम उम्र में ही शादी के बन्धन में बांध दिया जाता है।
- बाल-विवाह के कारणों में सबसे प्रमुख कारण लड़कियों में शिक्षा का अभाव है, उन्हें लड़कों की तुलना में कम तरजीह दी जाती है। उसके अलावा ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे- स्कूलों, विद्यालयों, शिक्षकों की व्यापक कमी पायी जाती है। अशिक्षा के कारण ये पता नहीं चल पाता है कि कच्ची उम्र में शादी करने से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- रूढ़िवादी सोच भी प्रमुख कारण है, जैसे कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं, पुरूषवादी समाज में उन्हें बुराई का मुख्य कारण मानना, लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं आदि।
- भारत का समाज एक सामंतवादी, संकीर्ण और लिंगभेद वाला समाज है। बहुत से परिवारों में तो स्त्री का बाहर निकलकर काम करना सही नहीं माना जाता है।
- महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक न पहुँचना।
- महिलाओं में जागरूकता की कमी।
- सामाजिक बुराईयां- जैसे; छेड़-छाड़, बढ़ते यौन अपराध, कार्यस्थल पर शोषण, विभिन्न धर्मों के सामाजिक दबाव।

बाल विवाह के दुष्परिणाम/प्रभाव

- **शिक्षा में अवरोध:** कम उम्र में शादी होने पर बालिका की पढ़ाई बंद हो जाती है। लड़की के शिक्षित नहीं होने के दुष्परिणाम पूरे परिवार पर पड़ता है। वह पत्नी व माँ के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाती है। अपने बच्चे की प्रथम गुरु होने की भूमिका में भी वह विफल रहती है यह स्थिति समाज और देश के लिए प्रतिगामी है।
- **व्यक्तित्व विकास में अवरोध:** छोटी उम्र में शादी हो जाने पर बालिका कई पारिवारिक और सामाजिक बंधनों में बंध जाती है। व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक खेलकूद एवं विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने के अवसर समाप्त हो जाते है। इससे बालवधु कूपमंडूक बनकर रह जाती है। यह स्थिति परिवार व समाज के साथ-साथ देश के विकास में भी बाधक है।
- **खराब स्वास्थ्य बढ़ती मातृ-शिशु मृत्यु दर:** कम उम्र में गर्भधारण और प्रसव लड़की के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। कई बार कम उम्र में माँ बनने पर अधिकांश शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। भारत में और विशेषकर राजस्थान में शिशुओं की मृत्यु दर काफी अधिक है जो सीधे तौर पर बाल विवाह का परिणाम है। इसी प्रकार कम उम्र में लड़की के माँ बनने पर कई बार उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जिससे प्रसव के दौरान मातृ-मृत्यु

दर काफी अधिक है जो समाज के लिए घातक है।

- **अविकसित बच्चे:** कम उम्र में माँ बनने पर बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ पैदा नही होता है आगे चलकर भी उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है जिससे वह अपने परिवार व समाज में पूरा योगदान निभाने में असमर्थ होता है बल्कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाने के कारण समाज पर एक अतिरिक्त दायित्व बन जाने की संभावना रहती है।

आगे की राह

बाल-विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जो सराहनीय है। सरकारी पहल से समाज में व्यापक बदलाव आया है लेकिन वांछित परिणाम अभी कोसों दूर है।

- बाल-विवाह जैसे कुप्रथा को रोकना है तो सबसे पहले भारत से गरीबी जैसी बिमारी को समाप्त करना होगा क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे माता-पिता के सामने परिवार के भरण-पोषण की समस्या रहती है। भारत में अभी भी लगभग कुल जनसंख्या के 15-20% जनसंख्या गरीब है। इससे निपटने के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है साथ ही अकुशल श्रम में वृद्धि की जरूरत है।
- विभिन्न राज्यों में प्रचलित कुप्रथाओं को कानून बना कर समाप्त करने की जरूरत है। जैसे हरियाणा में प्रचलित 'आन्टा-सान्टा' प्रथा आदि। सरकार को चाहिए कि वो विभिन्न धर्मों में महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं को रोके इसके लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है।
- भारत में आज भी शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर बोझ समझा जाता है। इस सोच से बाहर आने की आवश्यकता है। लड़कियाँ बोझ नहीं हैं अब वे जीवन के हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहीं हैं।
- कहा जाता है कि अगर नारी शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा क्योंकि प्राथमिक पाठशाला यहीं से शुरू होती है। लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों की तुलना में ज्यादा तरजीह देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। जब नारी शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों को पहचानेगी जिससे बाल-विवाह में व्यापक कमी लाई जा सकती है।
- रूढ़िवादी सोच जैसे- लड़किया पराया धन होती हैं, इनसे समाज में बुराई फैलती है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है।
- आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी भारतीय समाज, सामंतवादी, संकीर्ण और लिंगभेद वाला समाज है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि स्त्री का बाहर निकलना शर्मनाक है। आज चाहे राजनीति, खेल, फिल्म जगत, उच्चपद हो सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। एक शिक्षित महिला घर नहीं तोड़ेगी बल्कि उस घर को आगे बढ़ने में मदद करेगी।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचने चाहिए जैसे- लक्ष्मीयोजना, किशोरी शक्ति योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को 1 लाख करोड़ का ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ 76% महिलाएं ले रही हैं। एससी/एसटी महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्टैण्डअप इंडिया: इसके अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण देने का प्रावधान है। इसके अलावा, जन-धन योजना (16 करोड़ महिलाओ को लाभ) स्किल-इण्डिया (40% महिलाएं लाभान्वित हुई हैं) इन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाकर उसको आर्थिक रूप से शसक्त करने की जरूरत है क्योंकि जब महिला सशक्त होगी तो बाल-विवाह स्वत: ही समाप्त हो जायेगा।
- बाल-विवाह से संबंधित मामलों में महिलाओं में व्यापक जागरूकता आई है लेकिन वांछित परिणाम पाने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर से लेकर, स्कूल, कॉलेज, फिल्म, एनजीओ, नुक्कड़ नाटकों के साथ-साथ सोशल मिडिया का शहारा लेकर महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है।
- समाज में फैली तमाम बुराईयों जैसे- छेड़-छाड़, कार्यस्थल पर शोषण, यौन अपराधों, विभिन्न धर्मों के सामाजिक दबाव आदि के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। इस काम में नई पीढ़ी के युवाओं की अहम भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि कहा गया है कि "हम सुधरेंगे जग सुधरेगा"।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

5. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को सशक्त करने की नई पहल

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम का विस्तार कर वर्तमान में देश के 161 जिलों से बढ़ाकर इसे 640 जिलों तक फैलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अभियान की सफलता के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रमाणपत्र प्रदान किये। बच्चों के लिंग अनुपात (सीएसआर), जो 0-6 वर्ष आयु के प्रति 1000 लड़कों के तुलना लड़कियों की संख्या से निर्धारित होता है, में 1961 से लगातार घटोत्तरी जारी है। वर्ष 1991 में 945 से घटकर वर्ष 2001 में 927 और फिर 2011 में यह अनुपात 918 होना खतरे की घंटी है। सीएसआर में घटोत्तरी महिला सशक्तिकरण, में रूकावट का मुख्य सूचक है।

पृष्ठभूमि

"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की गई। भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए इस योजना की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य देशभर में जन अभियान के माध्यम से बदलती हुई सामाजिक मानसिकता को लक्ष्य करके और इस विषय पर जागरूकता का निर्माण करते हुए बाल लिंगानुपात में आ रही गिरावट का समाधान करना है।

प्रारंभ में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की यह योजना देश के उन चुनिन्दा राज्यों (हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र) के 100 जिलों में लागू की गई जिनमें बालिका लिंगानुपात की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इनमें हरियाणा बेहद संवेदनशील राज्य है। राज्य के 12 जिलों में 0-6

आयु वर्ष की बालिका लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आई है। यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 800 से भी कम है। झज्जर व महेन्द्रगढ़ जिलों में लिंगानुपात गिरकर क्रमशः 782 तथा 775 तक पहुंच गया है। वर्तमान में भारत की कुल आबादी का लगभग 48.5% भाग महिलाओं का है, परन्तु यहाँ ना केवल महिलाओं की संख्या निरंतर घट रही है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण व रोजगार के क्षेत्र में भी इनकी स्थिति पुरूषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके साथ हिंसा की घटनाएँ बहुत आम बात हैं, जिस पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

देश की 15वीं जनगणना में यह तथ्य प्रकट हुआ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में भी बालिका लिंगानुपात के स्तर में गिरावट आ रही है। केन्द्र सरकार ने इस सामाजिक समस्या की गंभीरता से सबक लेते हुए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरूआत कर एक सकारात्मक व प्रभावी पहल की है। इसमें यह पक्ष भी रखा गया है कि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस योजना के निष्पादन में सहयोग करेंगी ताकि जनसहभागिता एवं जनजागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात् जब जन-जन जागरूक होगा तभी भविष्य में असमान लिंगानुपात की स्थिति में सुधार आएगा।

इसकी आवश्यकता क्यों?

बेटियों को शिक्षित करना उतना ही जरुरी है जितना बेटों को शिक्षित करना। जब बेटियों को बराबरी का हक मिलता है, तभी समाज व देश तरक्की करता है। जब तक बेटी सुरक्षित और शिक्षित नहीं होगी तब तक देश और समाज की हालत नहीं बदल सकती और इसलिए हमारे देश की सरकार की मुख्य प्राथमिकता कन्या भ्रूण हत्या रोकने व उन्हें शिक्षित करने में है। इसी लक्ष्य के लिए सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान"।

भारतीय समाज में दोयम दर्जे की मानसिकता के कारण आज भी बेटियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। महानगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहू-बेटियों की सामाजिक स्थिति और भी खराब है। यहाँ दहेज-प्रथा, विधवा-विवाह, बाल-विवाह जैसी कुप्रथाएँ इन्हें कसकर जकड़े हुए हैं, वह भी तब जब हम इक्कसवीं सदी में कदम रख चुके हैं तथा महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। सभ्यता के इतिहास को टटोल कर देखें तो एक वक्त ऐसा भी था जब स्त्रियों को पुरुषों से अधिक सम्मान दिया गया था परन्तु परिवर्तनीय मानव सभ्यता के विकास व आधुनिकरण के युग में महिलाओं पर अत्याचार, शोषण व् हिंसा जैसी घटनाएँ निरंतर बढ़ती गईं।

वर्तमान में समाज द्वारा देश की महिलाओं अथवा बेटियों को दूसरा दर्जा देने वाली इस मानसिकता को बदलने के लिए, महिलाओं के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त इन विसंगतियों, अंतर्विरोधों, परम्पराओं एवं कुप्रथाओं को त्यागने और इनकी स्थिति में सुधार करने की दिशा में कई सामाजिक संरचना अपनी भूमिका निभा रही हैं जो कि देश की बेटियों के गिरते जीवन स्तर और उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस योजना के लाभ

सामाजिक अन्धविश्वासों व कुरीतियों को रोकने में सहायक

शिक्षा के मामले में लड़कियों के साथ भेद-भाव, बालिका-विवाह, दहेज़-प्रथा, सती-प्रथा, कन्या भ्रूण-हत्या, डायन-प्रथा व बलात्कार जैसी समस्याएँ चिंताजनक हैं या यूँ कहें कि विकास के इस युग में अभी भी अशिक्षा अन्धविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों की खाई को पार करना बाकी है। कहने का मतलब है कि देश की आधी आबादी (महिलाएं) शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, व्यापार और तकनीक आदि क्षेत्रों में तभी आगे बढ़ सकेंगी जब समाज द्वारा उनकी भूमिका को अहमियत दी जाएगी।

देश में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण विनियम व प्रतिषेध अधिनियम को बने लगभग 20 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं लेकिन फिर भी बालिकाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अतः जब बेटी शिक्षित होगी तो उनमे चेतना, स्वालंबन और आत्मनिर्भरता आएगी क्योंकि शिक्षित बेटियाँ ही समाज में फैले अन्धविश्वासों और कुरीतियों में बदलाव ला सकती हैं।

आर्थिक स्वावलंबन का आधार

देश की आर्थिक प्रगति व विकास का यदि वास्तविक मूल्यांकन करना है तो महिला शिक्षा का स्तर उन्नत करना होगा। महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरुषों पर ही निर्भर रहती आई हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए बालिका शिक्षा पर जोर देना आवश्वक है।

समाज में बालिका के शिक्षा, विवाह खर्च व परिवार पर बोझ जैसी संकुचित विचारधारा में बदलाव लाना होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तभी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। महिलाओं को शोषण जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। बेहतर जीवन-यापन, पारिवारिक बजट, वित्तीय नियोजन व सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दे पाएंगी।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन व महिला साक्षरता का प्रसार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से यह आशा की जा रही है कि इसके द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में भी बालिका शिक्षा का प्रसार होगा क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय जैसे आधारभूत संसाधन, स्कॉलरशिप महिला स्वास्थ्य, पोषण व रोजगार के स्तर में वृद्धि आदि जैसी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रही है।

परन्तु देश में बालिका का पोषण, स्वास्थ्य व रोजगार का स्तर लड़कों की तुलना में अत्यंत

पिछड़ा हुआ है। देश की 50% महिलाएं कुपोषित हैं। उनमें आयरन की कमी आम बात है। महिलाएं अपने पोषण एवं स्वास्थ्य को परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में कम महत्व देती हैं। इसलिए सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए महिला छात्रावास का निर्माण, नि: शुल्क व अनिवार्य शिक्षा 2009 के तहत शिक्षा, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कर रही है।

महिलाओं के प्रति अपराध में कमी

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को सार्थक बनाकर उसके साथ होने वाले भेदभाव को कम करना है ताकि समाज में उन्हें नई पहचान दिलाई जा सके क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति थाईलैंड, फिलीपींस आदि देशों की तुलना में भी अधिक शोचनीय है। महिलाओं के प्रति अपराध में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इन्हें रोकने के लिए बालिकाओं को सशक्त, जागरूक व आधुनिक परिवेश के अनुरूप बनाना अति आवश्यक है।

लैंगिक विभेदता के स्तर में कमी

वैश्विक स्तर पर लैंगिक भेदभाव सूचकांक में भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। देश में महिलाओं के निरंतर गिरते जनसंख्या प्रतिशत के कारण भविष्य में लड़के एकांकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का प्रतिशत भी बढ़ेगा इसके साथ ही अन्य सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

UNO की रिपोर्ट के अनुसार इसी स्थिति के चलते सन 2030 तक देश में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या 30 प्रतिशत अधिक हो जाएगी। इस योजना के द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करके उन्हें अन्याय से लड़ने की क्षमता प्रदान करने, बाल-विवाह के अवसरों में कमी लाने, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का प्रतिशत कम करने, दहेज, हिंसा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण को रोकने व मुकाबला करने में सक्षमता प्रदान करेगी।

महिलाओं को कानूनी हक दिलाने में सफलता

महिलाएं जब शिक्षित होंगी, तभी वह सशक्त व सामर्थ्यवान बनेंगी। अपने अधिकारों एवं हक के लिए लड़ेंगी। उनके साथ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जागरूकता व चेतना भी आवश्यक है ताकि उनके साथ होने वाली हिंसा व शोषण को रोका जा सके।

कोई भी कानून चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम हो या कामकाजी महिलाओं के लिए उत्पीड़न कानून जब तक वह स्वयं शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम नहीं होगीं तब तक महिला उत्पीड़न की घटनाएँ निरंतर बढ़ती रहेंगी। बालिकाओं का घटता लिंगानुपात, जन्म से पूर्व मार देना, शिक्षा सम्बन्धी भेदभाव, पोषण व स्वास्थ्य का गिरता स्तर यह दर्शाता है कि लड़कियों को अभी भी समानता, न्याय व स्वयं के मामलों में निर्णय लेने जैसी आजादी नहीं है। केवल कानून बनाकर इस भेदभाव को नहीं मिटाया जा सकता। हालांकि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाने के दिशा में ऐसी योजनाएँ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

चुनौतियाँ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारे देश के प्रधानमन्त्री का एक मुख्य अभियान है। भारत का यह सपना है की बेटियों को उनका हक उन्हें देना है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। लेकिन रिपोर्ट की मानें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ओ अभियान पर मंजूर राशि से करीब 90% पैसा आज भी काम पर लगाया नहीं गया है। पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार मंजूर किये गए करीब 43 करोड़ रुपयों में से सिर्फ 5 करोड़ रुपया ही आज तक इस अभियान में लगाया गया है। यह सच है की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान एक नेक मकसद से शुरू की गयी थी लेकिन देश की कैग रिपोर्ट की माने तो इस मिशन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है।

बेटी बचाओ बटी पढ़ाओ अभियान की असफलता के कई कारण हैं जैसे कि आयोजित फंड्स के उपयोग करने में विफलता, मैनेजमेंट पॉलिसी में कमी आदि। भारत सरकार की इस मुहिम के पीछे मूल उद्देश्य बालिका लिंगानुपात या कन्या संख्या में बढ़ोत्तरी को देखना था, जो की बदलते वक्त के साथ और भी घटती नज़र आने लगी। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कन्या संख्या (Female sex Ratio) पहले से और भी घटने लगी है। इन सभी कारणों के अलावा लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया भी उनके विकास व परिवर्तन में रोड़ा अटका रहा है।

आगे की राह

केंद्र व राज्य सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही हैं। इनमें जिलेवार ब्राण्ड एम्बेसडर का चयन, रथ-यात्रा, बालिका समृद्धि योजना, राजलक्ष्मी योजना, मीडिया समाचार पत्र पत्रिकाओं, रोल मॉडल, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग आदि शामिल है। इसके माध्यम से निश्चित तौर पर पुरुष प्रधान समाज में लड़के-लड़कियों में भेद की मानसिकता में बदलाव आएगा। बालिका के पक्ष में स्वस्थ व सकारात्मक माहौल विकसित करने व उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाने में मदद मिलेगी।

बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होना चाहिए। लिंग समानता के बिना नारी सशक्तिकरण की कल्पना करना अधूरा है। अत: कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। समाज को बेटी के जन्म पर खुशी मनाना, पैतृक संपत्ति में से उन्हें उचित हिस्सा मिलना, बाल-विवाह पर रोक लगाना, माता-पिता के दाह संस्कार का हक बेटियों को भी प्रदान करना, रोजगारोन्मुखी शिक्षा व प्रशिक्षण देकर आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना व वित्तीय समावेशन में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यदि केंद्र और राज्य सरकारें पूर्ण तत्परता से इस दिशा में प्रयास करेंगी तो धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्था में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा और यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में जन आन्दोलन का प्रभावी माध्यम बनेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

6. कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों?

चर्चा का कारण

बाजार नियामक संस्था सेवी ने भारत में कंपनियों के कामकाज के संचालन के लिए (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) गठित उदय कोटक समिति की सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल, 2020 से भारत की शीर्ष-500 कंपनियों के चेयरमैन और एमडी के पद को अलग-अलग किया जाएगा क्योंकि अभी तक यह पद एक ही व्यक्ति द्वारा संभाला जाता है।

सेबी ने इसके साथ ही म्यूचुअलफंड योजनाओं पर लिए जाने वाले अतिरिक्त खर्च को भी घटा दिया है। अभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी योजनाओं की दैनिक शुद्ध संपत्तियों पर 0.2 प्रतिशत का अतिरिक्त खर्च वसूलने की अनुमति थी। यह अतिरिक्त खर्च म्यूचुअल फंड कंपनियों को योजना से बाहर निकालने की सुविधा के एवज में वसूलती हैं। अब बोर्ड ने अधिकतम अतिरिक्त खर्च को किसी योजना के लिए घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। समिति ने एक अप्रैल, 2020 से किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशकों की संख्या को अधिकतम 8 तक सीमित करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा नियामक की योजना अधिग्रहण नियमन में बदलाव करने के लिए ईकाइयों को अतिरिक्त समय देने की भी है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है?

किसी भी कंपनी को चलाने की प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के मिले-जुले रूप को कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इनसे दिशानिर्देश मिलता है कि कंपनी का संचालन और उस पर नियंत्रण किस तरह किया जाए कि इससे कंपनी की गुणवत्ता बढ़े और इससे संबंधित लोगों को दीर्घकालिक तौर पर लाभ हो। यहां संबंधित लोगों के दायरे में कंपनी का निदेशक मंडल, कर्मचारी, ग्राहक और पूरा समाज शामिल है। इस तरह से कंपनी का प्रबंधन अन्य सभी लोगों के लिए ट्रस्टी की भूमिका में आ जाता है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत

पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कंपनी के कारोबार को चलाना कॉरपोरेट गवर्नेंस का मूल सिद्धांत है। इसमें लेनदेन की गतिविधियों में ईमानदारी बरतना, कंपनी के परिणामों और फैसलों को सार्वजनिक करना, देश के कायदे-कानून का पालन करना और लोगों के भरोसे को बनाए रखना शामिल है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बाजार नियामक संस्था सेबी ने खास तौर पर कहा है कि कंपनी का प्रबंधन करते हुए यह साफ किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत संपत्ति के दायरे में क्या है? और कंपनी की संपत्ति के दायरे में क्या है?

कॉरपोरेट गवर्नेंट क्यों महत्वपूर्ण है?

जिन कंपनियों का कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, उन पर लोगों का भरोसा कायम रहता है। किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और उनकी सक्रियता से बाजार में उसकी स्थिति अच्छी होती है। आम तौर पर देखा जाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जब किसी कंपनी में अपना निवेश करना चाहते हैं तो वे कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर खासा ध्यान रखते हैं।

साथ ही कॉरपोरेट गवर्नेंस उस कंपनी के शेयरों की कीमत पर भी असर डालता है। यदि किसी कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है तो बाजार से उसे रकम जुटाने में भी आसानी होती है। लेकिन इन सबके बीच विडंबना यह है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की चर्चा तभी होती है, जब बड़े पैमाने पर कोई घपलेबाजी होती है।

वर्तमान परिदृश्य

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की निदेशक बोर्ड की बैठक में निवेशकों के हित में कई फैसले लिए गए। बैठक में निवेश को असान बनाने और सूचीबद्ध कंपनियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया। बोर्ड बैठक में फंड का अतिरिक्त खर्च एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) को 0.20 फीसदी से घटाकर 0.05 फीसदी करने पर भी सहमति बनी।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

1. बोर्ड बैठक में कंपनियों के सीएमडी पद को दो भागों में बांटने पर सहमति बनी है अर्थात् अब कंपनियों को चैयरमैन और एमडी अलग-अलग नियुक्त करने होंगे।
2. सेबी में सूचीबद्ध कंपनियों में अब स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी 10 फीसदी के बजाए 8 फीसदी होगी।
3. दिवालिया हो चुकी कंपनियाँ अगर एक्सचेंज के नियमों का पालन नहीं करेंगी तो उनके प्रमोटर्स की शेयरधारिता सीज की जाएगी।
4. एक अप्रैल 2020 से सूचीबद्ध कंपनियों में अधिकतम 8 निदेशक ही नियुक्त होंगे।
5. नये निवेशकों को राहत देते हुए सेबी ने इन्हें 10 करोड़ के बजाए 5 करोड़ पूंजी रखने को मंजूरी भी दी है।
6. सेबी में सूचीबद्ध कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक को शामिल करना होगा साथ ही 1 अप्रैल 2019 तक महिला निदेशक की नियुक्ति भी करनी होगी।
7. बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को अपने ऑडिटर की योग्यता और उसकी फीस के बारे में सेबी को बताना होगा।
8. सेबी ने कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित नियम भी सख्त किए हैं। अब कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता सेबी को बतानी होगी।
9. सेबी ने शेयर बॉयबैक (पुर्नक्रय) पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं।
10. सेबी ने 2012 में म्यूचुअल फंड्स को निवेशकों की ओर से युनिट्स बेचने से मिली रकम पर 0.20 फीसदी शुल्क की अनुमति दी थी।
11. जहाँ तक चेयरमैन व सीईओ का पद अलग करने का प्रश्न है, तो आरंभ में यह नियम मार्केट पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 500 कंपनियों पर ही लागू होगा तथा यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।
12. बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को यह कार्य पहली अप्रैल 2020 तक कर लेना होगा।
13. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के नियमों में भी सुधार का फैसला लिया गया। एल्गो ट्रेडिंग (एल्गो ट्रेडिंग में शेयरों की खरीद-फरोख्त बहुत तेजी से होती है) में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। सेबी बोर्ड ने दिवालियापन प्रक्रिया में जाने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) संबंधी मानक को और कठोर करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

उदय कोटक समिति द्वारा अपनी सिफारिशें 2017 में ही सेबी को सौंप दी गई थी। 2018 में इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को सेबी ने मान ली है। 80 सिफारिशों में से 40 सिफारिशें सेबी द्वारा जस की तस मान ली गयी, वहीं 15 सिफारिशों को आंशिक परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया है। शेष में से 8 प्रस्तावों को विभिन्न सरकारी विभागों में विचार के लिए भेजा गया है।

सेबी क्या है?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), का गठन आरंभ में प्रतिभूति बाजार के विकास एंव

विनिमय और निवेशकों के संरक्षण से संबंधित सभी मामलों पर गौर करना या सरकार को परामर्श देने के लिए सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को गैर अंशदायी निकाय के तौर पर किया गया था। सेबी को 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा और अधिकार दिए गए थे।

सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नामित), दो सदस्य (केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी), एक सदस्य (आरबीआई से) और बाकी के दो सदस्यों को केंद्र सरकार नामित करती है। सेबी का कार्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित हैं। वर्ष 1988 में सेबी की आरंभिक पूंजी लगभग 7.5 करोड़ रुपये थी जिसे इसके प्रवर्तकों (आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई) ने दिया था। भारतीय पूंजी बाजार के लिए सभी वैधानिक शक्तियां सेबी को दी गई हैं।

सेबी के कार्य

1. निवेशकों के हितों की रक्षा करना और उपयुक्त उपायों से पूंजी बाजार को विनियमित करना।
2. शेयर बाजरों और अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यापार को विनियमित करना।
3. शेयर ब्रोकरों, उप ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, न्यासियों, मर्चेंट बैंकरों, बीमा कंपनियों, पोर्टफोलियो मैंनेजर आदि के कामकाज को विनियमित करना और उनका पंजीकरण करना।
4. म्यूचुअल फंडों के सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीकरण और विनियमन।
5. स्वनियामक संगठनों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
6. प्रतिभूति बाजारों के कदाचारों को समाप्त करना।
7. प्रतिभूति बाजारों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना और निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
8. प्रतिभूतियों के इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच करना।
9. प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने वाले विभिन्न संगठनों के कामकाज की निगरानी करना और व्यवस्थित सौदे सुनिश्चित करना।
10. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान और जांच को बढ़ावा देना।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए नैतिक अनुपालन

नैतिक एवं जिम्मेदार निर्णयन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणिक आचार-संहिता

कंपनी में उसके मिशन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी के विजन एवं मान्यताओं के अनुरूप दो अलग-अलग आचार-संहिताएं है- एक बोर्ड के सदस्यों के लिए है और दूसरी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए हैं तथा उसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। आचार संहिता के अंतर्गत कंपनी की प्रतिभूतियों की कंपनी के भीतर खरीद-फरोख्त करने से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

जवाबदेही की सुस्थापित प्रणाली

कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने लक्ष्य निर्धारण की ऐसी प्रणाली शुरू की है जिस पर कंपनी और सरकार के बीच सहमति, समझौता ज्ञापन के माध्यम से की जाती है। समझौता ज्ञापन प्रणाली में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय निष्पादन, उत्पादकता, मानव संसाधन विकास कार्यों, परियोजना के क्रियान्वयन, प्रचालन निष्पादन जैसे पैरामीटरों के लिए पहले से ही मूल्यांकन मानदंड परिभाषित किए गए हैं।

बोर्ड के कार्य निदेशकों के निष्पादन का भी मूल्यांकन, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से दो स्तरों पर- प्रथम मूल्यांकन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के स्तर पर और दूसरा मूल्यांकन मंत्रालय के स्तर पर किया जाता है। सभी निदेशकों की निष्पादन रिपोर्टों की समीक्षा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और मूल्यांकन हेतु मंत्रालय को अग्रेषित की जाती है।

जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्थापना

एनटीपीसी ने कंपनी में जोखिम प्रबंध को संस्थागत बनाने के लिए वित्त वर्ष 2005 में जोखिम प्रबंध नीति बनाई थी। इस नीति का उद्देश्य मूल्य सृजन के अवसरों का अभिनिर्धारण एवं पूंजीकरण करने के लिए जोखिमों का अभिनिर्धारण, आंकलन, मॉनीटर एवं प्रबंधन करना है।

समाज के प्रति अविभाजित प्रतिबद्धता

एनटीपीसी अपने स्थापना काल से ही प्रतिबद्ध एवं सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार कॉरपोरेट रहा है। कंपनी ने विद्युत स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व- सामुदायिक विकास (सीएसआर - सीडी) नीति भी बनाई है और उसे अंगीकार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक हस्तक्षेप करके सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए "एनटीपीसी फाउंडेशन" की स्थापना भी की है।

आगे की राह

अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि बोर्ड व प्रबंधन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जाए जिससे अर्थव्यवस्था और उसके शेयर धारकों के हितों की रक्षा की जा सके साथ ही इसका प्रभावी तरीके से संचालन भी किया जा सके।

- उदारीकरण के साथ एक डिजिटल क्रांति और सुधार की जरूरत है जिससे इस क्षेत्र में व्याप्त लाल फीताशाही को कम किया जा सके तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। विडंबना यह है कि कुछ बेईमान लोग व कंपनियाँ इस प्रणाली का दुरूपयोग करने तथा धोखाधड़ी में शामिल रहते हैं।
- एक प्रभावशाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवस्था न केवल बाजार अर्थव्यवस्था के संचालन में मदद करती है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था या व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में भी लोगों का विश्वास पैदा करती है।
- नये सुधारों से बोर्ड व मैनेजमेंट में पारदर्शिता आयेगी जिससे हितधारकों का इसमें विश्वास बढ़ेगा साथ ही सामग्री की जानकारी मिलने से निर्णय-क्षमता में भी परिवर्तन आयेगा।
- केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक कंपनियाँ महिला निदेशकों को नियुक्त कर रही हैं क्योंकि विविधता मूल्यों को बढ़ा देता है। इस अनिवार्यता को सेबी ने फरवरी 2015 में जारी किया था। 2017 में सेबी ने कहा कि जो कंपनी इस नियम का पालन नहीं करेगी उसको दंडित किया जाएगा।
- लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र, ऑडिट शुल्क, ऑडिटरों के इस्तीफे के कारणों का अनिवार्य खुलासा करने का सेबी का फैसला, लेखा परीक्षा व्यवसाय में बढ़ते सरकारी प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

7. आतंक विरोधी सम्मेलन के निहितार्थ

चर्चा का कारण

आतंक विरोधी सम्मेलन (Changing Contours of Global Terror) में दिये गए अपने भाषण में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के कारण युवाओं में बढ़ते कट्टरवाद को बल मिला है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवाओं में कट्टरवादी का बढ़ना आज के समय में दुनिया के लिये चुनौती है। उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिये कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकियों/आतंकी संगठनों को शरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा, युवाओं को कट्टरवादी बनाया जा रहा है, तमाम चुनौतियां जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है उनमें कट्टरवाद सबसे बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा, कि 'कई देशों ने इस समस्या की पहचान की है और इस कट्टरवाद को रोकने के लिये कदम भी उठा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में समय रहते ऐसे मॉड्यूल्स को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आईएसआईएस के सोशल मीडिया में फैलते जाल को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है ताकि विचारधारा को लेकर लोगों का ब्रेनवॉश करने की कोशिशों को रोका जा सके।

गृहमंत्री ने कहा, 'आईएसआईएस का मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ में ले जाने का खतरा बरकरार है। ऐसे आतंकी जो अकेले आतंकी हमले कर रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस और आस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले इसके उदाहरण हैं।

आतंकवाद क्या है?

आतंकवाद एक गैर कानूनी कार्य है, जिसका मकसद आम लोगों के अन्दर हिंसा का डर पैदा करना हैं। किसी विनाशकारी शक्ति द्वारा विभिन्न तरीकों से विश्व में भय की स्थिति उत्पन्न करना है। किसी भी प्रकार के आतंकवाद से चाहे वे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो-सभी के कारण देश में असुरक्षा, भय और संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

आतंकवाद की सीमा कोई एक राज्य, देश अथवा क्षेत्र तक नहीं है। आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व के लिए बड़ा खतरा है। आधुनिक तकनीकी तक पहुँच जिसमें-साइबर-स्पेस, संचार, वैश्विक वित्तीयन, सैन्य हथियार आदि, ने ऐसे समूहों को शक्ति प्रदान की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आतंकवाद एक सिद्धांत बन गया है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के समक्ष चुनौती पेश कर रहा है। आज आतंकवाद से समूचा विश्व दो चार हो रहा है। भारत तथा विश्व में कुछ आतंकी हमलों से संबंधित रिपोर्ट निम्न हैं।

विश्व

आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या में वर्ष 2016 में लगातार दूसरे साल कमी आई है, लेकिन इससे प्रभावित हुए देशों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 'इंस्टीट्यूज फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' की ओर से पेश इस रिपोर्ट में पाया गया कि आतंकवादी हमलों के कारण पिछले साल 25,673 लोगों की मौत हुई इस संख्या में वर्ष 2014 की तुलना में 22 फीसदी गिरावट हुई। रिपोर्ट के अनुसार मृतक संख्या में सीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में काफी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 77 देशों में कम से कम एक घातक हमला हुआ, ये संख्या वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस के 17 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक है। पीड़ितों की संख्या में गिरावट सकारात्मक तथ्य है इसमें नाइजीरिया में सर्वाधिक सुधार देखा गया है जहां बोको हराम के कारण मारे गए लोगों की संख्या में पिछले साल 80 फीसदी की कमी आई लेकिन इस्लामिक स्टेट समूह के कारण मारे गए लोगों की संख्या में वर्ष 2016 में बढ़ोतरी हुई है। इराक में सर्वाधिक 40 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। जीटीआई ने आतंकवाद के वैश्विक स्तर पर फैलने को चिंताजनक बताया, वर्ष 2015 की तुलना में पिछले साल 12 से अधिक देश घातक हमलों का शिकार हुए हैं।

भारत

पिछले वर्ष की तुलना में भारत में 2016 में आतंकवादी हमलों में 18 फीसदी बढ़ोतरी देखी गई थी। भारत को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) रिपोर्ट में आठवें स्थान पर रखा गया है। 2016 में आतंकवाद से 340 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी, हालांकि आंकड़े अभी भी 2000 के बाद से तीसरे सबसे कम थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी हमलों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है हालांकि, भारत में अभी तक शीर्ष 10 देशों की तुलना में हमले की दर सबसे कम है। भारत में प्रत्येक हमले के मुकाबले 0.4 मौतें औसत थीं, जबकि शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों के लिए हर हमले में 2.7 औसत मौत हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर गैर-घातक विस्फोट, लोगों और सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए किए गए थे और इसका उद्देश्य सदमे और भय पैदा करना था। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि देश में आतंकवाद से संबंधित मौतों के कारण विभिन्न जातीय अलगाववादी आंदोलनों की भूमिका है। उदाहरण के लिए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), 15 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जबकि संयुक्त लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) आतंकवादियों ने पिछले साल 7 लोगों के हत्या का दावा किया था।

आतंकवाद के बदलते स्वरूप

आज वैश्विक आतंकवाद नये रूप में सामने आ रहा है इसके आधारभूत संरचना में नाटकीय परिवर्तन देखा जा सकता है। आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लड़ाके जहां गुप्त स्थानों से प्रशिक्षण लेकर कम मात्रा में शामिल होते थे। अब इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही अब बड़े पैमाने पर आतंकियों की नियुक्ति की जा रही है। इनका इस तरह से बढ़ने का कारण अत्याधुनिक हथियार, धन और वित्त की श्रृंखलाओं आदि में सहयोग किया जाना है।

- अत्याधुनिक तकनीकी पहुँच जिसमें, साइबर स्पेश, इंटरनेट, इलेक्ट्रानिक मेल इत्यादि ने आतंकवादी समूहों को वैश्विक संचार व्यवस्था से जोड़ दिया है। संचार व्यवस्था ने इन समूहों को बेहद विनाशकारी उपकरण प्रदान किया है। जो प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था को संभावित रूप से अपंग बना सकता है।
- आतंकवादियों का एक और नया आयाम उभर कर सामने आया है जो इन समूहों को आपराधिक अंडरवर्ल्ड जिसमें संगठित आपराधिक गैंग्स, बंदूकधारियों, तस्कर, दवा विक्रेताओं आदि के साथ जोड़ दिया है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि इन संगठनों को लगातार धन मिलता रहे।
- भारत वैश्विक पटल पर विश्व शक्ति बनकर उभरा है तथा इन आतंकी समूहों द्वारा भारत को चुनौती दी जा रही है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को काउण्टर करना अपने आप में एक जटिल कार्य है। भारत ने कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ ज्वाइण्ट वर्किंग ग्रुप की शुरूआत की है साथ ही आपराधिक मामलों से निपटने के लिए आपसी कानूनी सहायता पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं। इन संधियों से जाँच, साक्ष्यों का एकत्रीकरण, अपराधियों की अदला-बदली, अपराधियों की अवस्थिति तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

भारत चार प्रमुख समूहों में आतंकवाद को विभाजित करता हैं। जो निम्न हैं।

1. जातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद: इस प्रकार का आतंकवाद भारत से अलग राज्य बनाने पर केन्द्रित होता है। चाहे कुछ संगठन भारत में हों या पड़ोसी देशों में इन समूहों द्वारा इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

- एक जातीय समूह द्वारा दूसरे जातीय समूह को समर्थन देना जैसे- श्रीलंका के तमिल स्थिति का समाधान करने के लिए भारत में हिंसक तमिल राष्ट्रवादी समूहों की प्रतिक्रिया आदि। ये सभी जातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद के उदाहरण है।

2. धार्मिक आतंकवाद: इस तरह का आतंकवाद धार्मिक अनिवार्यता पर केन्द्रित होता है। ये एक या एक से अधिक आर्थिक समूहों के खिलाफ, एक विशिष्ठ धार्मिक समूह में एकजुटता पायी जाती है। 2008 के मुम्बई हमलों के बाद पाकिस्तान में इस्लामिक ग्रुप धार्मिक आतंकवाद का उदाहरण है।

3. नारको आतंकवाद: आज नार्को - आतंकवाद का खतरा भारत के सामने अहम चुनौती बनकर उभरा है। भारत के लिए नार्को-आतंकवाद भले ही नया शब्द हो लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका चलन एक दशक पहले ही हो चुका है। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन (एफ बी आई) ने कुछ समय पहले स्पष्ट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवाद के मध्य खतरनाक गठजोड़ तैयार हो चुका है। नाटको-आतंकवाद को हम आतंकवाद के प्रकार या आतंकवाद के साधन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

4. राज्य प्रायोजित आतंकवाद: राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का इतिहास बहुत पुराना है। "वाल्टर लीकर" का ऐसा मानना है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद पुराने समय में भी व्यवहार में था। वर्तमान समय में कुछ देश जानबूझकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद को अपने विदेश नीति के हथियार के रूप में प्रश्रय दे रहे हैं।

आतंकवाद के कारण

आतंकवाद के अनेक कारण है जिनमें कुछ निम्न हैं।

- बंदूक, मशीनगन, एटम बम, हाईड्रोजन बम, परमाणु हथियार, मिसाइल आदि का अधिक मात्रा में निर्माण होना।
- आबादी का तेजी से वृद्धि।
- राजनैतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था
- देश की व्यवस्था के प्रति असंतोष
- शिक्षा की कमी
- गलत संगति
- इसके अलावा भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता, आदि अनेक कारण हैं।
- कमजोर खुफिया संरचना, पुलिस का अपर्याप्त आधुनिकीकरण,
- सरकार की सुस्त निर्णय क्षमता, आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्पष्ट रणनीति की कमी।
- भारत का सीमा विवाद, लम्बी समुद्री सीमा।
- वैश्वीकरण ने भौगोलिक बाधाओं को पारदर्शी बना दिया है। लोगों का शरणार्थी के रूप में भारत आना भी उथल-पुथल कारण है।
- तकनीकी के कारण भी इन आतंकी समूहों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है।

समाधान/आगे की राह

आज आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति की जरूरत है। इस समस्या का समाधान प्रत्येक क्षेत्र जैसे-राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य में तलाशना होगा।

राजनीतिक/कूटनीति रणनीति

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता है। विश्व के सभी देशों को एक साथ आना ही होगा। राज्य प्रायोजित आतंकवाद या छद्म युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दबाव बनाना होगा। एक मजबूत संदेश की आवश्यकता हैं इन राज्य प्रायोजित देशों के लिए जो इस घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं। राज्य प्रायोजित देशों के खिलाफ राजनयिक, व्यापारिक, खेल, तथा सैन्य संबंधों को तोड़ने या कम करने की आवश्यकता है।

आंतरिक रणनीति

- आतंकवादियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आतंकवादी विचारधारा की जड़ें-मूल सिद्धांतों, सामाजिक बुराईयों और आतंकवाद के स्त्रोंतों जैसे-नारकोटिक्स/मादक द्रव्यों का व्यापार आदि को रोकना होगा।
- आतंक विरोधी कानूनों तथा मौजूदा कानूनी ढांचों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्कता है।
- खूफिया विभाग को आधुनिक तथा इसके नेटवर्क को और फैलाने की जरूरत है।
- राज्य पुलिस, पैरा मिलिट्री, और उनके ट्रेनिंग तथा हथियार में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

आर्थिक आयाम

- पूरे देश में विकास को बढ़ावा देना होगा, दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। विशेषत: समाज के कमजोर तबकों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है।
- जनसांख्यिकीय विस्थापन को कम करने की जरूरत है। जिसके कारण जातिगत तनाव फैल रहा है जैसे-असम व त्रिपुरा में। नेपाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं को द्विपक्षीय सहमति के साथ बार्डर बेल्ट बनाने की जरूरत है।
- भारत को अपनी अर्थिक स्थिति तथा सैन्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

सामाजिक आयाम

- आधुनिक शिक्षा अपनाने की आवश्यकता हैं चाहे वो दूर-दराज के क्षेत्र हों या फिर मदरसों की शिक्षा आदि। मदरसों में परम्परागत मजहबी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से देने की आवश्यकता है।
- हमें अपने संचार व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

सैन्य रणनीति

- सैन्य क्षेत्र में सबसे पहले सैन्य बलों में वृद्धि के साथ-साथ सैन्य क्षमता को भी बढ़ाना होगा।
- एक प्रतिक्रियाशील जबाव इस समस्या का समाधान नहीं है बल्कि सशस्त्रों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इससे हम सक्रिय और विशिष्ट सर्जिकल सैन्य अभियानों को संचालित कर सकते हैं।
- बॉर्डर पर विशेष निगरानी दल के गठन की आवश्यकता है जिससे घुसपैठ को रोका जा सके।
- बार्डर बॉर्डर पर ड्रोन की सहायता व नाइट विजन कैमरों की मदद से घुसपैठ को रोकने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

आतंकवाद का जिस ढंग से विस्तार हो रहा है यदि उसको समय रहते नहीं रोका गया तो यह पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा। विश्व के सभी देशों को इस समस्या के निदान के लिए एक मंच पर आना होगा साथ ही उन देशों पर आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्रतिबंध के साथ सभी क्षेत्रों में संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मुक्त व्यापार नीति और ट्रेड वार

प्र. वर्तमान में जिस तरह से अमेरिका द्वारा व्यापार को लेकर संरक्षणवाद की नीति अपनाई जा रही है ऐसे में भारत सहित अन्य देशों को अपनी मुक्त व्यापार नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए पर चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समक्ष तनाव के वर्तमान मुद्दे
  - भारत-अमेरिका ट्रेड वार
  - अमेरिका द्वारा भारत की निर्यात सब्सिडी को चुनौती का मामला
  - अमेरिका द्वारा चीन से आयात पर टैरिफ का मामला
- विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार
- प्रणाली
- क्या है ट्रेडवार
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में 19-20 मार्च 2018 को नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओं) की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत ने नियम आधारित ऐसी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समक्ष तनाव के वर्तमान मुद्दे

- **भारत अमेरिका ट्रेडवारः** अमेरिका ने पिछले दिनों स्टील और एल्युमीनियम के प्रोडक्ट पर फीस बढ़ाने का ऐलान करके एक नया ट्रेड वार छेड़ दिया।
- **अमेरिका द्वारा भारत की निर्यात सब्सिडी की चुनौती का मामलाः** हाल ही में अमेरिका के यूएसटीआर ने यह आरोप लगाया है कि भारत की नीतियाँ कुछ खास टैक्स और फी को माफ कर देती है जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलता है।
- **अमेरिका द्वारा चीन से आयात पर टैरिफ का मामलाः** हाल ही में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं के आयात पर 60 अरब डॉलर का टैरिफ लगा दिया, जबाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर तीन अरब डॉलर का शुल्क लगाया।

विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली

डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेदो ने चेतावनी दी की विभिन्न देश अगर अमेरिका के ऐसे मनमाने कदम का विरोध करते हैं तो एक किस्म की व्यापारिक जंग की शुरूआत होने की आशंका है।

क्या है ट्रेड वार?

जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैरिफ यानी कर बढ़ाता है तो दूसरा देश भी इसके जवाब में ऐसा ही करता हैं। इससे टकराव बढ़ता है, यही ट्रेड वार है।

निष्कर्ष

अमेरिकी सरकार द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाने के बाद भारत सहित अन्य देशों को भी मुक्त व्यापार नीति पर पुनर्विचार करना होगा। ■

समुद्री पर्यावरण में तेल रिसाव प्रबंधन

प्र. हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ समझौते पर मंजूरी दी है। इस समझौते का उल्लेख करते हुए समुद्र में तेल रिसाव के कारण और उसके प्रभाव की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- वर्तमान स्थिति
- तेल रिसाव के कारण
- तेल रिसाव का प्रभाव
- तेल रिसाव प्रबंधन के लिए सरकारी प्रभाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है।
- समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक बल को सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकार होगा जिससे कि वे क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना को लागू कर सकने में सक्षम हो।

परिचय

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और प्रोत्साहन को समर्थन देने के लिए 1982 में श्रीलंका में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों ने एसएसीईपी की स्थापना की।

वर्तमान स्थिति

- विश्व भर में तेल की अत्यधिक मात्रा का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है।
- भारत में कच्चे तेल की मांग का 70% समुद्री मार्ग से आयात हो रहा है।
- तेल रिसाव का मौजूदा खतरा भारतीय क्षेत्र के आर्थिक व पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील सभी क्षेत्रों में बढ़ गया है।

तेल रिसाव के कारण

- तेल रिसाव आमतौर पर खराब मौसम, हरिकेन तुफान, भूंकपीय घटनाएं, हिंसापूर्व कृत्यों जेसे युद्ध, विध्वंस या जहाज को डुबोने और मानवीय मूल के कारण होता है।

तेल रिसाव का प्रभाव

- समुद्री पर्यावरण पर तेल के परिवहन और तेल रिसाव का प्रभाव भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावी होते हैं जो तेल के गुणों, मौसम विज्ञान और पर्यावरण दशाओं पर निर्भर करते हैं।
- जब तेल रिसाव समुद्री सतह पर होते हैं तो यह फैलकर एक पतली परत का निर्माण कर लेता है जिससे 'आयल स्लिक' कहा जाता है।
- मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही समुद्री जीव जंतुओं पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है।
- व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह हानिकारक साबित हो रहा है।

तेल रिसाव प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयास

- उल्लेखनीय है कि कार्य आवंटन निगम 1961 के अनुसार महासागर की क्षति की रोकथाम एवं संरक्षण हेतु समन्वय करने औन नियामक उपाय करने की जिम्मेदारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है।
- देश के अंदर तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों को तेल रिसाव से होने वाली क्षति से रक्षा के लिए 1980 से तेल रिसाव प्रबंधन कार्यक्रम बना हुआ है।
- तटरक्षक बल को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

निष्कर्ष

समुद्री तेल रिसाव प्रबंधन के लिए भारत ने सराहनीय कार्य किया है। अब समय आ गया है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को समुद्री स्वच्छता के लिए मिलकर काम करना चाहिए जिससे कि समुद्री पारिस्थितिकी को बचाया जा सके। ■

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन

प्र. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है। कार्बन उत्सर्जन के कारण तथा उससे पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए आवश्यक सुझावों का उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- आईईए क्या है?
- वर्तमान परिदृश्य
- कार्बन उत्सर्जन के कारण
- कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन 32.5 गीगावाट की ऊंचाई पर पहुंच गया है।
- वैश्विक ऊर्जा की मांग 2017 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 14,050 मिलियन टन तेल के बराबर हो गई है। जो पिछले साल की तुलना में दो गुना अधिक है।
- रिपोर्ट में वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि के मामलों में 2/3 देशों का योगदान है।

आईईए क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी।
- आईईए प्रमुख तेल आयातक देशों का समूह है। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।
- आईईए के चार प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता और विश्व में ऊर्जा के प्रति वचन बद्धता है।

वर्तमान परिदृश्य

- यूरोपीय आयोग और नीदरलैण्ड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी "एडगर डेटाबेस" के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन चीन द्वारा किया जाता है।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन प्रतिवर्ष लगभग 10,941 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन करता है।
- आईईए रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के मामलों में 2/3 एशियाई देशों का योगदान है।

कार्बन उत्सर्जन के कारण

- कार्बन उत्सर्जन के मुख्यतः दो कारण हैं पहला प्राकृतिक तथा दूसरा मानवीय कारण।
- प्राकृतिक कारणों के तहत जुगाली करने वाले जानवर, पेड़-पौधों द्वारा श्वसन, मृत जीवों का अपघटन, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग आदि की चर्चा करें।
- मानवीय कारणों में वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण व शहरीकरण, विद्युत उत्पादन, जीवाश्म ईधन, विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ आदि का वर्णन करें।

कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव

- ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, प्रवाल भित्ती विनाश, जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य पर दुस्प्रभाव आदि को दर्शाएँ।

आगे की राह

- वैश्विक तापमान में वृद्धि की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त संघ ने 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के पश्चात 'यूएनएफसीसी' का गठन किया था।

- कार्बन उत्सर्जन को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत नियंत्रित किया जा सकता है।

जागरूकता बढ़ाना, कार्बन फुट प्रिंट कम करें, प्लास्टिक उपयोग को कम करें, पौधरोपण, वैकल्पिक ऊर्जा अपनाकर, बिजली उपयोग को कम करें, अक्षय ईंधन विकल्पों को तलाशें, सड़क के साथ पेड़ लगाएं, पहाड़ों पर पेड़ लगाएं आदि की चर्चा करें। ■

भारत मे बाल–विवाह की वर्तमान स्थिति

प्र. हाल ही में युनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में बाल-विवाह के मामले में 20 फीसदी की गिरावट आयी है। इस सुधार की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए ऐसे उपायों की चर्चा करें जिनसे की सुधार की इस दर को और तीव्र किया जा सके।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है बाल विवाह?
- वर्तमान परिदृश्य
- बाल-विवाह रोकने के लिए कानून
- सरकारी पहल
- बाल-विवाह के कारण
- बाल-विवाह के प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- युनिसेफ ने 6 मार्च, 2018 को अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 10 साल पहले 47 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दिया जाता था जो अब घटकर 27 प्रतिशत हो गया है।
- युनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में ढाई करोड़ बाल-विवाह रोके गए इसमें सबसे ज्यादा कमी दक्षिण एशिया में दर्ज की गई जहां भारत शीर्ष पर था।
- बाल्यावस्था में शादी करने वाली लड़कियों के अनुपात में 15 प्रतिशत कमी आई है।

बाल-विवाह क्या है?

- बाल विवाह से तात्पर्य जब दो बच्चों को उनके परिवारों की सहमति से एक-दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें विवाह के वास्तविक अर्थ और इसके महत्व को जाने बिना बच्चों को शादी करने के लिए बाध्य किया जाता है।
- भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि उपरोक्त आयु प्राप्त करने से पहले ही विवाह करा दिया जाता है तो इसे ही बाल-विवाह कहा जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

- विश्व में बाल-विवाह के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो पाचं देशों, में बाल-विवाह के सबसे ज्यादा मामले पाये गये जिनमें-भारत बांग्लादेश, नाइजीरिया, ब्राजील व इथोपिया हैं।
- जबकि बाल-विवाह की दर नाइज़र, अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड़, बांग्लादेश व बुरकिनाफासो में सबसे अधिक है।
- भारत में अब भी कई जिलों में बाल-विवाह की दर बहुत ज्यादा है खासकर आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जाति जैसी कुछ विशेष जातियों में।
- रिपोर्ट में बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में बाल-विवाह की दर सबसे ज्यादा 40 फीसद तक है, जबकि तमिलनाडु और केरल में यह 20 फीसदी से कम है।

बाल-विवाह रोकने के लिए कानून

- बाल-विवाह पर रोक संबंधी कानून सबसे पहले सन् 1929 में पारित किया गया था बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

सरकारी पहल

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में बाल-विवाह को रोकने का लक्ष्य शामिल किया गया है। 2007 में बच्चों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है।
- राजस्थान में बाल-विवाह को रोकने के लिए सभी सरपंचों को पाबंद किया गया है।
- बिहार में बाल-विवाह को रोकने के लिए एप की शुरूआत की गई है।

बाल-विवाह के कारण

- बाल-विवाह के कारणों में गरीबी, विभिन्न राज्यों में प्रचलित कुप्रथाएं, शिक्षा का अभाव, रूढ़िबादी सोच, महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक न पहुँचना, सामाजिक बुराईयां तथा जागरूकता की कमी आदि की चर्चा करें।

बाल विवाह के प्रभाव

- शिक्षा में अवरोध-कम उम्र में शादी होने पर बालक व बालिका की पढ़ाई बंद हो जाती है।
- व्यक्तित्व के विकास में अवरोध।
- खराब स्वास्थ्य, बढ़ती मातृ-शिशु मृत्यु दर, अविकसित बच्चे आदि को दर्शाएं।

आगे की राह

- बाल विवाह को रोकने के लिए गरीबी को समाप्त करने की जरूरत है, साथ ही विभिन्न राज्यों में प्रचलित कुप्रथाओं को कानून के माध्यम से समाप्त करने की आवश्यकता है।
- बाल-विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। रूढ़िवादी सोच से आगे निकलने की जरूरत है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा।

विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचने चाहिए, व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ महिलाओं से छेड़छाड़ तथा यौन अपराधों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। ■

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को सशक्त करने की पहल

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी पहल बालिकाओं की स्थिति सुधारने में कहाँ तक सफल होगी? मूल्यांकन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- इसकी आवश्यकता क्यों?
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओं अभियान के लाभ
- इस अभियान की चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओं अभियान के विस्तार की शुरूआत की है।
- इस कार्यक्रम का विस्तार कर वर्तमान में देश के 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक फैलाया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को देश में विषम लैंगिक अनुपात की समस्या से लड़ने के लिए हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की विधिवत शुरूआत की।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिका के अनुपात को बढ़ाना है।

इसकी आवश्यकता क्यों?

- बेटियों को शिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना बेटों को शिक्षित करना। जब बेटियों को बराबरी का हक मिलेगा तभी हमारा देश, समाज विकास करेगा।
- महानगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहू-बेटियों की स्थिति और भी खराब है। इसलिए हमारे देश की सरकार की प्राथमिकता उनकी स्थिति को सुधारना एवं शिक्षित करना है।

बेट बचाओ, बेटी पढ़ओ अभियान के लाभ

- इस अभियान के विभिन्न लाभ हैं जैसे-सामाजिक अंधविश्वास व कुरीतियों को रोकने में सहायक, आर्थिक स्वालंबन का आधार, बालिका, शिक्षा को प्रोत्साहन, महिलाओं के प्रति अपराध में कमी, लैंगिक विभेदता के स्तर में कमी, महिलाओं को कानूनी हक दिलाने में सफलता।

चुनौतियाँ

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की असफलता के कई कारण हैं जैसे कि आवंटित फंडस के उपयोग करने में विफलता, मैनेजमेंट पॉलिसी में कमी आदि। इन सभी कारणों के अलावा लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया भी उनके विकास व परिवर्तन में बाधक है।

आगे की राह

- बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए।
- यदि केन्द्र और राज्य सरकारें पूर्ण तत्परता से इस दिशा में प्रयास करेंगी तो धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्था में निश्चित तौर पर परिवर्तन आयेगा। और यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में जन आंदोलन का प्रभावी माध्यम बनेगा। ■

कार्पोरेट गवर्नेंस

प्र. हाल ही में सेबी ने कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए गठित कोटक समिति की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस समिति की सिफारिशों से कॉर्पोरेट प्रशासन में किस प्रकार का बदलाव आयेगा? समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- सेबी
- सेबी के कार्य
- कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए नैतिक अनुपालन
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- बाजार नियामक संस्था सेबी ने भारत में कंपनियों के कामकाज के संचालन के लिए (कार्पोरेट गवर्नेंस) उदय कोटक समिति की सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार कर लिया है।
- अप्रैल 2020 से भारत की शीर्ष-500 कंपनियों के चेयरमैन और एमडी के पद को अलग किया जाएगा।
- समिति ने एक अप्रैल, 2020 से किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशकों की संख्या को अधिकतम 8 तक सीमित करने का सुझाव दिया है।

पृष्ठभूमि

- किसी भी कंपनी को चलाने की प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के मिले-जुले रूप को कार्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं।
- कार्पोरेट गवर्नेंस में, लेनदेन की गतिविधियों में ईमानदारी बरतना, कंपनी के परिणामों और फैसलों को सार्वजनिक करना, देश के कायदे-कानून का पालन करना और लोगों के भरोसे को बनाये रखना है।
- जिन कंपनियों का कार्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, उन पर लोगों का भरोसा कायम रहता है।

वर्तमान परिदृश्य

- सेबी के निदेशक बोर्ड की बैठक में निवेशकों के हित में कई फैसले लिए गए।
- अब कंपनियों को चेयरमैन और एमडी अलग-अलग नियुक्त करने होंगे।
- एक अप्रैल 2020 से सूचीबद्ध कंपनियों में अधिकतम् 8 निदेशक ही होंगे।

- अप्रैल 2019 तक कम से कम एक महिला निदेशक को निदेशक मंडल में नियुक्त करना होगा।

सेबी

- सेबी का गठन सरकार को परामर्श देने के लिए सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल, 1988 को गैर अंशदायी निकाय के तौर पर किया गया था। सेबी को 30 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा और अधिकार दिए गए थे।
- सेबी के कार्यों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और उपयुक्त उपायों से बाजार को विनियमित करना, प्रतिभूतियों के इन साइडर ट्रेनिंग की जांच करना है।

कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए नैतिक अनुपालन

- कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय निष्पादन, उत्पादकता, मानव संसाधन विकास कार्यों, परियोजना के क्रियान्वयन, प्रचालन, निष्पादन जैसे पैरामीटर के लिए मूल्यांकन मानदंड परिभाषित किए गए हैं।

आगे की राह

- एक प्रभावशाली कार्पोरेट गवर्नेंस व्यवस्था न केवल बाजार अर्थव्यवस्था के संचालन में मदद करती है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था या व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में भी विश्वास पैदा करती है।
- नये सुधारों से बोर्ड व मैनेजमेंट में पारदर्शिता आयेगी जिससे हितधारकों का इसमें विश्वास बढ़ेगा साथ ही सामग्री की जानकारी मिलने से निर्णय क्षमता में भी परिवर्तन आयेगा।
- केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक कंपनियाँ महिला निदेशकों को नियुक्त कर रही है। ■

आतंक विरोधी सम्मेलन

प्र. हाल ही में संपन्न 'आतंकवाद के बदलते स्वरूप' सम्मेलन में भारत के गृहमंत्री ने कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के कारण युवाओं में कट्टरता बढ़ी है। वर्तमान समय में आतंकवाद के बदलते स्वरूप व इसके कारणों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- आतंकवादी घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट
- आतंकवाद के बदलते स्वरूप
- आतंकवाद के कारण
- आगे की राह
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- आतंक विराधी सम्मेलन 'चेंजिंग कंटूअर्स ऑफ ग्लोबल टेरर' में दिये अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के कारण युवाओं में कट्टरता बढ़ी है।
- उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में समय रहते ऐसे माड्यूल्स को नष्ट कर दिया गया है।

आतंकवादी घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट

- आज समूचा विश्व आतंकवाद से दो चार हो रहा है। कुछ आतंकी घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट निम्न हैं।
- विश्वः आतंकवादी हमलों में मारे गये लोगों की संख्या में वर्ष 2016 में कमी आई है, लेकिन इससे प्रभावित हुए देशों की संख्या में इज़ाफा हुआ है।
- भारतः पिछले वर्ष की तुलना में भारत में 2016 में आतंकवादी हमलें में 18 फीसदी बढ़ोतरी देखी गई है, और भारत को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 8वें स्थान पर रखा गया है।

आतंकवाद के बदलते स्वरूप

- अत्याधुनिक तकनीकी पहुँच जिसमें, साइबर स्पेश, इंटरनेट, इलेक्ट्रानिक, मेल इत्यादि ने आतंकवादी समूहों को वैश्विक संचार व्यवस्था से जोड़ दिया है।
- आतंकवादियों का नया चेहरा सामने आया है जिसमें आपराधिक संगठनों, बंदूकधारियों, तस्कर, दवा विक्रेताओं आदि को शामिल किया जा सकता है।
- भारत में आतंकवाद को चार प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है जैसे जातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, नारकोटेरोरिज्म आतंकवाद एवं राज्य प्रायोजित आतंकवाद।

आतंकवाद के कारण

- आधुनिक विनाशकारी हथियारों में वृद्धि, शिक्षा व्यवस्था में कमी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता।
- खूफिया संरचना की कमी, पुलिस व सेना का अपर्याप्त आधुनिकीकरण, सीमा विवाद, तकनीकी पहुँच आदि की चर्चा करें।

आगे की राह

- राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दबाव बनाना होगा।
- आतंक विरोधी कानूनों तथा मौजूदा कानूनी ढाँचों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।
- समूचे भारत में विकास को बढ़ावा देना होगा, समाज के कमजोर तबकों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है।
- आधुनिक शिक्षा अपनाने की आवश्यकता है।
- सैन्य क्षेत्र में सबसे पहले सैन्य बलों में वृद्धि के साथ-साथ सैन्य क्षमता को भी बढ़ाना होगा।

निष्कर्ष

आतंकवाद का जिस ढंग से विस्तार हो रहा है यदि उसको समय रहते नहीं रोका गया तो यह पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा। विश्व के सभी देशों को इस समस्या के निदान के लिए एक मंच पर आना ही होगा। ■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. पाकिस्तान की सबमरीन क्रूज मिसाइल 'बाबर'

पाकिस्तान ने 29 मार्च 2018 को स्वदेश निर्मित सबमरीन से लॉन्च होने वाले क्रूज मिसाइल 'बाबर' का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से विश्वसनीय नीति को मजबूत करने की दिशा में पाकिस्तान की तरफ से यह एक ऐतिहासिक कदम के रुप में देखा जा रहा है। इस मिसाइल को पानी के नीचे स्थित डायनेमिक प्लेटफॉर्म से छोड़ा गया था। इस मिसाइल ने तय दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में कामयाबी हासिल की। परीक्षण स्थल पर डीजी स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन (एसपीडी), अध्यक्ष एनईएससीओएम (नेसकोम), कमांडर नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड (एनएसएफसी), वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और रणनीतिक वैज्ञानिक संगठनों के इंजीनियर भी उपस्थित थे।

पनडुब्बी क्रूज मिसाइल (एसएलसीएम) बाबर विभिन्न प्रकार के पेलोड अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा पानी के नीचे नियंत्रित प्रणोदन, उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन के लिए भी सक्षम है। यह पाकिस्तान को दूसरी विश्वसनीय प्रक्षेपण क्षमता प्रदान करता है। इतना ही नहीं यह मिसाइल एडवांस्ड गाइडेंस और नेविगेशन फीचर से भी लैस है। इस क्षमता का विकास भी परमाणु पनडुब्बियों और जहाज परमाणु मिसाइलों के माध्यम से पड़ोसी इलाकों में उत्तेजक परमाणु रणनीतियों के लिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह मिसाइल दुश्मन के हवाई सुरक्षा साधनों के भीतर प्रवेश करने और रडार से बचने के लिए बनायीं गयी है।

यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित 'बाबर-3' मिसाइल का दूसरा परीक्षण है और इसका पहला परीक्षण जनवरी 2017 में किया था। बाबर-3 इससे पहले विकसित की गई बाबर-2 मिसाइल का ही नौसेना रूप है. बाबर-2 का परीक्षण वर्ष 2016 में जमीन से किया गया था। ■

2. विश्व ऑटिज्म जागरुकता दिवस

विश्वभर में 02 अप्रैल 2018 को अंतरराष्ट्रीय ऑटिज्म जागरुकता दिवस मनाया गया इस वर्ष का विषय है- "ऑटिज्म से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।" यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को ऑटिज्म से लड़ने तथा इसका निदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं, जो आटिज्म से ग्रसित होते हैं और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता दी जाती है। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है।

इस दिवस का उद्देश्य ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों तथा बड़ों के जीवन में सुधार हेतु कदम उठाना और उन्हें सार्थक जीवन व्यतीत करने में मदद करना है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बिना अपनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों में सुधार के लिए पूरक के रूप में अपनाया गया। विश्व ऑटिज्म दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मनाये जाने वाले चार दिवसों में से एक है।

ऑटिज्म मस्तिष्क विकास में उत्पन्न बाधा संबंधी विकार है। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति दूसरों से अलग स्वयं में खोया रहता है। व्यक्ति के विकास संबंधी समस्याओं में ऑटिज्म तीसरे स्थान पर है। अर्थात् व्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में ऑटिज्म भी जिम्मेदार है। ऑटिज्म के रोगी को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ऑटिज्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 तक विश्व में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है, साथ ही इसकी वजह से उनके न्यूरोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 62/139 प्रस्ताव के तहत इसका निर्धारण किया गया। इसे काउंसिल द्वारा 1 नवंबर 2007 को पारित किया गया जबकि 18 दिसंबर 2007 को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में दो अप्रेल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया थ। ■

3. भारत और चीन के बीच संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक

भारत और चीन के बीच 26 मार्च 2018 को संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. इस बैठक के एजेंडे में दोतरफा व्यापार एवं वाणिज्य को आगे बढ़ाने के तौर-तरीकों के साथ ही व्यापार घाटे को कम करने की भारत की मांग शामिल है। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और चीन के मंत्री झोंग शान तथा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

भारत, चीन के साथ भारी व्यांपार असंतुलन का मुद्दा बार-बार उठाता रहा है और बैठक में भारत ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। सुरेश प्रभु ने चीन में तिलहन, सोयाबीन, बासमती और गैर-बासमती चावल, फलों, सब्जियों और चीनी जैसे कृषि उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता की मांग की। भारत ने दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को सुचारु बनाने के उपायों की भी मांग की। चीन के मंत्री झोंग शान ने चीन में भारतीय निवेश का स्वागत किया और दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे की समस्या पर तवज्जो देने का वायदा किया। भारत चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने के तरीकों पर चर्चा को तैयार है। भारत से उच्च गुणवत्ता वाली औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के लिए चीन के बाजार को खोला जाना चाहिए। सुरेश प्रभु ने कहा की दोनों देश को पर्यटन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

भारत के साथ व्यापारिक संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बेहतर है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभप्रद है। चीन ने कहा कि व्यापार संबंधों पर भारत के साथ स्पष्ट और प्रभावी बातचीत केवल दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह दोनों पड़ोसी देशों के बीच सबसे पुराना और अहम वार्ता तंत्र है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्टूबर में चीन के साथ व्यापार घाटा 36.73 अरब अमेरिकी डॉलर पर रहा। भारत में दूरसंचार एवं विद्युत जैसे विस्तार करते क्षेत्रों में तैयार वस्तुओं की मांग पूरा करने में चीन के ऊपर निर्भरता इस व्यापार घाटे का मुख्य कारण है।

संयुक्त आर्थिक समूह को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीजिंग दौरे के दौरान दिसंबर 1988 में गठित किया गया था। वित्त वर्ष 2011-12 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 75. 45 अरब डॉलर रहा था। भारत का निर्यात 17.90 अरब डॉलर और आयात 57.55 अरब डॉलर रहा था। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2016-17 में वर्ष 2015-16 के 52.69 अरब डॉलर से मामूली कम होकर 51 अरब डॉलर रहा था। ■

4. मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु 'इनसाइट मिशन'

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करने के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया। यह नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर किया जाने वाला पहला अध्ययन अभियान है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन के बाद इनसाइट भी नासा का पहला मिशन होगा। इसे पांच मई को मंग्रल ग्रह पर भेजने का कार्यक्रम है। यह किसी दूसरे ग्रह की जमीन पर भूकंप को मापने के लिए बनाए गए यंत्र को वहां स्थापित करेगा।

इनसाइट एक तरह का रोबोट है जो 5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के बनने के शुरुआती चरणों के बारे में सूचनाएं जुटाएगा। इसे एक प्रकार की वैज्ञानिक टाइम मशीन भी कहा जा रहा है। इससे यह मालूम चलने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी, उसका चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य ग्रहों जैसी चट्टानें कैसे बनीं। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह की आंतरिक सतहों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि इसकी सतहें पृथ्वी से किस तरह अलग हैं। इस वैज्ञानिक शोध में मंगल ग्रह के धरातल पर होने वाली हलचल, भूकंप आदि की भी गहराई से जांच की जाएगी। इनसाइट नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे नासा के मार्शल फ्लाइट सेंटर द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन स्पेस, डेनेवर द्वारा बनाया एवं टेस्ट किया गया है।

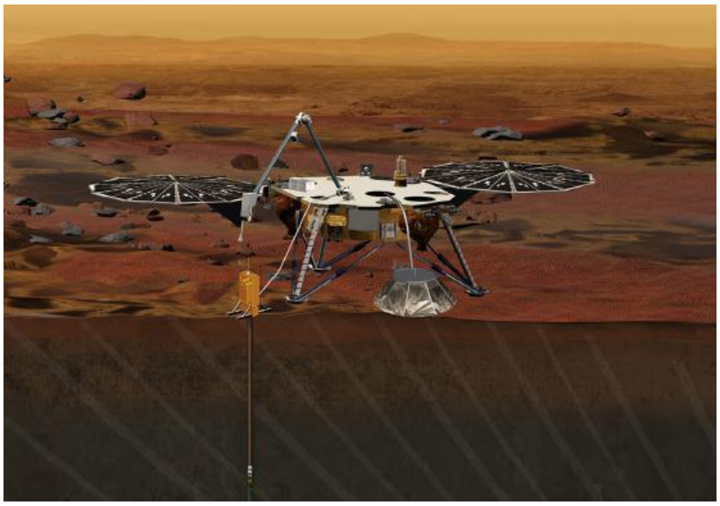

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। नासा का गठन नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधि नियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था, नैशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था। इस संस्था ने 01 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य "भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना" रखा गया। 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे। ■

5. रिसाइकिल रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान

2 अप्रैल 2018 को स्पेस एक्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों तक सामान भेजने के लिए एक ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल किया जो पहले भी वहां जा चुका है।

स्पेस एक्स ने रिसाइकिल्ड फाल्कन 9 रॉकेट और एक कार्गो शिप भेजा है। स्पेस एक्स की ड्रैगन मिशन मैनेजमेंट की निदेशक ने बताया कि बूस्टर को पहले अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था जबकि ड्रैगन अप्रैल 2016 में अंतरिक्ष स्टेशन गया था। स्पेस एक्स ने इससे पहले भी एक बार डबल रिसाइकिल्ड अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया था। 2017 के दिसंबर में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट तक स्पेसएक्स ने रॉकेट भेजा था।

स्पेस एक्स इस तरह के मिशनों के जरिए अंतरिक्ष यात्रा का खर्च घटना चाहता है। इसके लिए करोड़ों डॉलर की कीमत वाले उपकरण जो हर लॉन्च के बाद सागर में गिर जाते हैं उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतरिक्ष में स्पेसएक्स की उड़ान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए चौदहवीं उड़ान थी। इस तरह के अभियानों के लिए नासा ने स्पेसएक्स के साथ 1.6 अरब डॉलर का करार किया है। इसका मकसद अंतरिक्ष में रह रहे यात्रियों तक जरूरी सामानों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना है।

फाल्कन 9 के द्वारा भेजे गए कैप्सूल में करीब 2600 किलोग्राम खाना और विज्ञान के प्रयोग के लिए उपकरण हैं। इनमें अंतरिक्ष की बर्फीली आंधियों के विकास की जांच करने के उपकरण भी शामिल हैं। कार्गो शिप अंतरिक्ष स्टेशन से जुड जाएगा और फिर ऑर्बिट में करीब एक महीने तक रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटेगा। ■

6. दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरा चीन का स्पेसक्राफ्ट

दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरा चीन का स्पेसक्राफ्ट चीन की निष्क्रिय और अनियंत्रित हो चुकी एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का बचा हुआ हिस्सा प्रशांत महासागर में गिर गया है। हालांकि, इसके अधिकांश हिस्से को अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया गया था। चीन के मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस ने बताया कि आठ टन के भार वाली तियांगोंग-1 का ज्यादातर हिस्सा वायुमंडल में ही जल गया था। लैब के मलबे का बहुत छोटा सा हिस्सा जमीन पर गिरा है।

ऑफिस की ओर से बताया गया कि इस प्रयोगशाला ने दक्षिणी प्रशांत के मध्य क्षेत्र में सुबह करीब आठ बजकर 15 मिनट (स्थानीय समयानुसार) के आस-पास फिर से प्रवेश किया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बीजिंग एरोस्पेस नियंत्रण केंद्र और संबंधित संस्थानों के हवाले से बताया कि इस लैबोरेटरी का ज्यादातर हिस्सा वायुमंडल में ही जल गया था।

सीएमएसईओ की ओर से हाल ही में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि 'तियांगोंग- 1' वायुमंडल में जल जाएगा और इससे जमीन पर कोई नुकसान पहुंचने की बहुत कम भावना है। इस लैबोरेटरी के धरती की ओर गिरने की खबर के बाद से ही नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

तिआनगोंग-1

चीन का पहला प्रोटोटाइप अंतरिक्ष स्टेशन है। यह दोनों मानवयुक्त प्रयोगशाला और एक प्रयोगात्मक डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए सेवारत है। चीन ने मोबाइल दूरसंचार हेतु पहला उपग्रह तिआनतोंग-01 प्रक्षेपित किया।चीन ने 6 अगस्त 2016 को मोबाइल दूरसंचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु पहला उपग्रह सफलतापूर्व प्रक्षेपित किया। इसे चीन के जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3बी राकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह चीन द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी मोबाइल दूरसंचार उपग्रह है। यह देश के अंतरिक्ष सूचना एवं संचार सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तिआनतोंग-01 की विशेषताएं

यह उपग्रह चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नॉलोजी द्वारा डिजाइन किया गया है।इसकी ग्राउंड सेवा चीनी दूरसंचार द्वारा संचालित होंगी।यह एक भू-समकालिक कक्षा (जीईओ) में कार्य करेगा।यह आधारभूत सुविधाओं के साथ चीन में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करेगा।यह चीन, मध्य-पूर्वी देशों एवं अफ्रीकी देशों को सेवा प्रदान करेगा।यह लॉन्ग मार्च रॉकेट की 232वीं उड़ान थी। लॉन्ग मार्च-3बी को 36वीं बार लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च वर्तमान में चीन का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर है। ■

7. भारत तथा दक्षिणी एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र के देश यानी बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तारन और श्रीलंका के बीच क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करना है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकार होगा और 'क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना' को लागू करने के लिए संचालन की दृष्टि से संपर्क सूत्र होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और प्रोत्साकहन को समर्थन देने के लिए 1982 में श्रीलंका में अफगानिस्तीन, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों ने एसएसीईपी की स्थापना की। एसएसीईपी ने इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (आईएमओ) के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना विकसित की ताकि बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के समुद्रों में तेल प्रदूषण की बड़ी घटना से निपटने के लिए अंतराष्ट्रीनय सहयोग और पारस्परिक सहायता की तैयारी की जा सके।

दक्षिणी एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे एसएसीईपी (SACEP) भी कहा जाता है, दक्षिण एशियाई सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और वृद्धि को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए 1982 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।

■

राष्ट्रीय

1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में संशोधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया। सरकार ने संसदीय समिति द्वारा संसद में दिनांक 20 मार्च 2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुमोदनों पर और चिकित्सा छात्रों तथा चिकित्सा पेशा से जुड़े लोगों द्वारा दिये गये विचारों/सलाहों पर विचार करके यह अनुमोदन किया है।

छात्रों की यह मांग रही है कि उन्हें चिकित्सा सेवा प्रारंभ करने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्ति हेतु कोई अन्य परीक्षा न देनी पड़े। कैबिनेट ने फाइनल एमबीबीएस परीक्षा को ही पूरे देश में सामान्य परीक्षा का दर्जा देने की मंजूरी दी है और यह एग्जिट टेस्ट के रूप में कार्य करेगा तथा इसे राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) कहा जाएगा। आयुष पेशेवरों द्वारा आधुनिक चिकित्सा का पेशा करने के लिए आवश्यक ब्रिज पाठ्यक्रम के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गयी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

इसके अनुसार निजी चिकित्सा संस्थानों तथा मानद विश्वविद्यालयों के शुल्क नियमन की अधिकतम सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि शुल्क में कॉलेजों द्वारा लिये जाने वाले अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे। एनएमसी में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग पर विचार करते हुए एनएमसी में राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गयी है। एनएमसी में कुल 25 सदस्य होंगे और इनमें से 21 डॉक्टर होंगे।

उल्लेखनीय है कि विचार विमर्श करने के दौरान हितधारकों ने आर्थिक दंड पर चिंता व्यक्त की। कॉलेजों द्वारा नियम नहीं मानने पर किसी बैच से प्राप्त किये गये कुल शुल्क के आधे से 10 गुने तक आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस उपनियम के स्थान पर एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया है। नये प्रावधान में चेतावनी के विभिन्न विकल्प, सामान्य आर्थिक दंड, नामांकन पर रोक तथा मान्यता समाप्त करना शामिल है। अयोग्य व नीम हकीम चिकित्सकों को लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। अनधिकृत चिकित्सा सेवा देने पर एक साल के कारावास तथा 5 लाख रुपये तक के दंड का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)

नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के तहत चार स्वायत्त बोर्ड बनाने का प्रावधान है जिसमें 25 सदस्य इस संरचना के शीर्ष पर होंगे। यानी एनएमसी एक 25 सदस्यीय संगठन होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, आठ पदेन सदस्य और 10 अंशकालिक सदस्य आदि शामिल होंगे। इस कमीशन का काम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा को देखना, साथ ही चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और डॉक्टरों के पंजीकरण की व्यवस्था को भी देखना होगा। इस कमीशन में सरकार द्वारा नामित चेयरमैन और सदस्य होंगे जबकि बोर्डों में सदस्य, सर्च कमेटी द्वारा तलाश किए जाएंगे। यह कैबिनेट सचिव की निगरानी में बनाई जाएगी। ■

2. न्यायाधीश जवाद रहीमः एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2018 को कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जवाद रहीम को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में जस्टिस रहीम एनजीटी के न्यायिक सदस्य हैं। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एनजीटी बार एसोसिएशन की याचिका पर की।

याचिका में एनजीटी (प्रैक्टिस और प्रक्रिया) संशोधन अधिनियम, 2017 को असंवैधानिक बताया गया है जिसमें विवाद को निपटाने के लिए सिंगल जज की बेंच गठित करने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया कि ऐसा करना एनजीटी एक्ट, 2010 की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 11 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करे जो कि अध्यक्ष के पद की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष का काम देख सकता है। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसके बाद कोर्ट को ट्रिब्यूनल के दो वरिष्ठतम सदस्यों की तुलनात्मक सूची पेश की जिनमें जस्टिस जवाद रहीम और जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर के नाम शामिल थे। यद्यपि दोनों की नियुक्ति 12 जनवरी 2016 को हुई पर हाईकोर्ट के जज के रूप में न्यायमूर्ति जवाद वरिष्ठ हैं। एनजीटी के पूर्व चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार के रिटायर होने के बाद ये पद खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम नियुक्ति जरूरी थी क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह इस तरह की किसी व्यवस्था को मानेगी। ■

3. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बना

भारत में 1 अप्रैल 2018 से पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने अपनी सेवाएं आरंभ की हैं। इसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जाना जायेगा तथा यह देश का सबसे बड़ा भुगतान बैंक नेटवर्क होगा। यह पेमेंट बैंक देश के सभी डाकघरों में खोला गया है तथा इसके द्वारा नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं मुफ्त में दी जायेंगी। विदित हो कि अभी देश में 1.55 लाख डाकघर हैं इनमें 650 भुगतान बैंक इन डाकघरों की सहायता करेंगे।

- इसके तहत एक लाख रुपये तक की बचत खाता, 25 हजार तक की जमा राशि पर 5 फीसदी ब्याज, चालू खाता और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत पोस्ट मैन और ग्रामीण डाक सेवक शहरी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट सेवा पहुंचाएंगे। वर्ष 2015 में आरबीआई ने भारतीय पोस्ट को पेमेंट बैंक के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। देश के पुराने बैंक एटीएम और अन्य इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं के लिए पैसे चार्ज करते है, लेकिन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के कस्टमर को एटीएम लेने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसी तरह मोबाइल अलर्ट के लिए भी बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। अभी ज्यादातर बैंक 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक एसएमएस अलर्ट के लिए चार्ज लेते हैं इसी तरह क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके तहत तीन तरह के खाते बनाए जा सकेंगे-सफल, सुगम एवं सरल।
- इस बैंक की परिकल्पना रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने की थी। इससे बैंकिंग सेक्टर में विविधता आएगी और अब तक बैंकिंग व्यवस्था से दूर रही जनता भी जुड़ेगी। कोई भी उपभोक्ता अपने पहचान पत्र विशेषकर आधार के जरिए इससे जुड़ सकता है एवं इसके जरिए देश के नागरिक बैंक खाता खुलवाने के झंझटों से बच सकते हैं और कैशलेस इकॉनमी की ओर बढ़ सकते हैं।■

4. पश्चिम बंगाल में 'रूपश्री योजना' आरंभ की गई

पश्चिम बंगाल सरकार ने कन्याश्री के बाद रूपश्री योजना आरंभ करने की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की युवतियों की शादी कराना है। यह योजना 01 अप्रैल 2018 से लागू हुई है। इस योजना के लाभार्थी युवतियों को शादी के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। यह आर्थिक सहायता उन परिवारों को मिलेगी जिनकी सालाना आय डेढ़ लाख रुपये तक हो। विदित हो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना कन्याश्री की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री को लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस अवार्ड भेंट किया गया। इसके बाद ही राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में इस योजना की घोषणा की।

- नारी व शिशु विकास विभाग के एक अधिकारी के अनुसार 'रूपश्री योजना' के लिए आवेदन फॉर्म सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना के तहत युवती को शादी से पहले आवेदन भरकर स्थानीय निकायों या प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) के कार्यालय में जमा करना होगा।
- राज्य सरकार योजना के लाभार्थी को उसके विवाह से पहले उसके बैंक खाते में 25 हजार रुपये जमा कराएगी। कन्याश्री की भांति इस योजना की राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 लाख युवतियों को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्यनिर्धारित किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 1500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। वर्ष 2013 में लागू हुई कन्याश्री योजना के अंतर्गत 42 लाख 63 हजार 657 लड़कियों को लाभ मिल रहा है।

कन्याश्री योजना एवं लाभ

कन्याश्री योजना के लागू होने से राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगने में मदद मिली है। यही नहीं नारी शिक्षा का भी विकास हुआ है। स्कूली शिक्षा के बाद युवतियां उच्च शिक्षा व स्नातकोत्तर की पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं। कन्याश्री-1 के तहत 18 साल उम्र की लड़कियों को छात्रवृत्ति और कन्याश्री-2 के अंतर्गत 18 साल की उम्र पार करने वाली पंजीकृत लड़कियों को एकमुश्त 25,000 रुपए देने का प्रावधान है। इसका लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जो कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रही हों। ■

5. इंदु भूषण आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ नियुक्त

इंदु भूषण को 27 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एबीएनएचपीएम) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत मिशन के सीईओ हेतु इंदु भूषण के नाम पर अंतिम स्वीकृति दी। भूषण वर्तमान में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के डायरेक्टर जनरल हैं तथा उन्हें इस पद पर दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है।

इंदु भूषण को अक्टूबर 2017 में एशियन डेवलपमेंट बैंक में ईस्ट एशिया डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। इससे पहले भूषण ईएआरडी में रणनीति एवं नीति निर्माण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। भूषण वर्ष 1997 से एडीबी में कार्यरत हैं। भूषण ने जॉन हॉपफिन्स यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर से इकोनॉमिक्स में पीएचडी तथा हेल्थ साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। इस मिशन के तहत 10 करोड़ परिवारों यानि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का हेल्थ कवर मिलेगा। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को पाँच लाख रुपए का लाभ कवर किया गया है। यह परिवार एसपीसीसी डाटा बेस पर आधारित गरीब और कमजोर आबादी के होंगे। लाभ कवर में अस्पसताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद के खर्च शामिल किये जाएंगे। बीमा पॉलिसी के पहले दिन से विद्यमान सभी शर्तों को कवर किया जाएगा। लाभार्थी को हर बार अस्पलताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कवर किये गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी/निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी।

■

6. भारत में ई–वे बिल प्रणाली लागू की गयी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत शुरू की गई इलेक्ट्रानिक वे बिल (ई-वे बिल) प्रणाली 01 अप्रैल 2018 से देशभर में लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि ई-वे बिल की वैधता अवधि को ट्रांसपोर्टर की तरफ से जीएसटी फार्म में पहली बार डिटेल्स भरने के दिन से गिना जाएगा। फिलहाल ई-वे बिल प्रणाली को 50,000 रुपये से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है।

- ई-वे बिल जेनरेट करने की पहली शर्त तो यह है कि कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। इसके लिए उसके पास टैक्स इनवॉइस, बिल या डिलिवरी चालान और सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे ट्रांसपोर्टर की आईडी होना जरूरी है।
- जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर किये गये नियमों के मुताबिक 100 किलोमीटर से कम दूरी तय करने पर ई- वे बिल संगत तिथि से एक दिन के लिये वैध होगा। इसके बाद प्रत्येक 100 किलोमीटर के लिये संगत तिथि से वैधता एक अतिरिक्त दिन के लिये होगी।

- अगर ई-वे बिल में किसी भी तरह की गलती हो जाती है, तो आप उसे सुधार नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जिस ई-वे बिल में गलती हुई है, उसे रद्द करना होगा और नया ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।
- यदि एक ट्रांसपोर्टर के पास एक ही वाहन में कई कंसाइनमेंट हैं, तो वह जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 फॉर्म का उपयोग एक संपूर्ण ई-वे बिल बनाने के लिए कर सकता है, जिसमें प्रत्येक खेप का ई-वे बिल नंबर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अगर किसी वजह से ट्रक को आधे घंटे से ज्यादा समय के लिए रोक लिया जाता है तो ट्रांसपोर्टर इसकी जानकारी ई-वे बिल पोर्टल पर दे सकता है।
- ई-वे बिल पोर्टल पर अभी तक कुल 10,96,905 करदाताओं द्वारा पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त 19,796 ट्रांसपोर्टरों ने भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या ज्यादा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 50 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई वे बिल कहते हैं, जो जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आता है।

ई-वे बिल की वैधता

यह वैधता माल (वस्तु) ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी। अगर किसी वस्तु का गतिशीलता (मूवमेंट) 100 किलोमीटर तक होता है तो यह बिल सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड (वैध) होता है। अगर इसका मूवमेंट 100 से 300 किलोमीटर के बीच होता है तो बिल 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन और 1000 से ज्यादा किलोमीटर के मूवमेंट पर 15 दिन के लिए मान्य होगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले एक फरवरी से ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया था लेकिन पोर्टल में बाधा होनें की वजह से इसके क्रियान्वयन को रोक दिया गया था। ई-वे बिल को जीएसटी में राजस्व चोरी रोकने के एक बड़े उपाय के तौर पर माना जा रहा है। ■

7. नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन का सैप के साथ समझौता

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने 27 मार्च 2018 को सैप के साथ आशय वक्तव्य (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। सैप के कर्मचारी स्वायंसेवक उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सैप लैब्स इंडिया की डिजाइन लैब में उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा, सैप के कर्मचारी स्वयंसेवक विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जुड़े उपकरणों के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेंगे।

अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का लक्ष्य 500 समुदायों और स्कूलों में 250,000 युवाओं को भविष्य के लिए अभिनव कौशल प्रदान करना है। युवाओं द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए परामर्शदाताओं के क्षमता निर्माण और मेकर इकोसिस्टम के साथ संपर्क कायम करने, अवधारणा तैयार करने, डिजाइन के बारे में चिंतन करने और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यशालाएं आयोजित करने में इंटेल की ओर से नीति आयोग को सहायता मिलेगी। इसके अलावा इंटेल एक इनोवेशन फेस्टिवल का सह-नेतृत्व करेगा, जिसमें 500,000 युवा अन्वेषक अपनी पहुंच कायम कर सकेंगे। नीति आयोग के अनुसार यदि भारत को अगले तीन दशकों में निरंतर 9 से 10 प्रतिशत विकास दर कायम रखना है तो यह अत्यंत आवश्यक होगा कि देश समस्याओं के लिए अभिनव समाधान के उपाय करने में सक्षम हो। एसओआई के एक हिस्से के तहत सैप देश भर में माध्यमिक स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (स्टेम) की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में 100 अटल टिंकरिंग लैबों (एटीएल) की जिम्मेदारी पांच वर्षों के लिए लेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल रूपांतरण एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि डिजाइन थिंकिंग विधि, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षण से संबंधित उन्न्त प्रौद्योगिकी विषयों को सीखने में सक्षम बनाना है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

सरमत मिसाइल

चर्चा का कारण

- रूसी सेना ने कहा है कि उसने अपनी नवीनतम अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का सफल परीक्षण किया है।
- 'वोयेवोडा' दुनिया की सबसे भारी आईसीबीएम मिसाइल है जिसे पश्चिमी देशों में 'शैतान' के नाम से जाना जाता है।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी रूस के प्लेसेट्स्क से शनिवार (30 मार्च) को 'सरमत' मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया।
- राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से इस महीने के शुरूआत में कहा था कि 'सरमत' का वजन 200 मीट्रिक टन है और यह 'वोयेवोडा' से ज्यादा लंबी दूरी तक मर कर सकती है।
- 'सरमत' मिसाइल सोवियम युग में डिजाइन किए गए 'वोयेवोडा' की जगह लेगी।

मुख्य तथ्य

- 'समरत' उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर उड़ान भर सकती है और दुनिया में किसी भी जगह पर अपने लक्ष्य को भेद सकती है।
- 'सरमत' 'वोयेवोडा' की तुलना में अपने साथ ज्यादा बड़ी मात्रा में युद्धक सामग्री ले जा सकती है।
- इसकी रेंज 11 हजार किमी. है और यह अपने साथ 100 टन वजनी हथियार (लगभग 10 परमाणु हथियार के बराबर वजन) ले जा सकती है। आरएस-28 'सरमत' का उत्पादन 2020 से शुरू किया जाएगा और 2021 में इसे सेवा में शामिल कर लिया जाएगा।

परिचय

- रूस ने इसका पहला परीक्षण दिसंबर 2017 में किया था। यह सोवियतकालीन आईसीबीएस वोयेवोडा की जगह लेगी, जिसका सेवाकाल 2024 में पूरा हो रहा है।
- इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) ने शैतान-2 नाम दिया है। इसका असल नाम आरएस-28 'सरमत' है, जिसे आर्कटिक क्षेत्र के नजदीक प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम (प्रक्षेपण केंद्र) से छोड़ा गया।

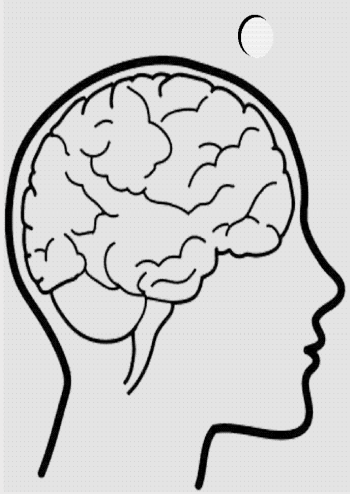

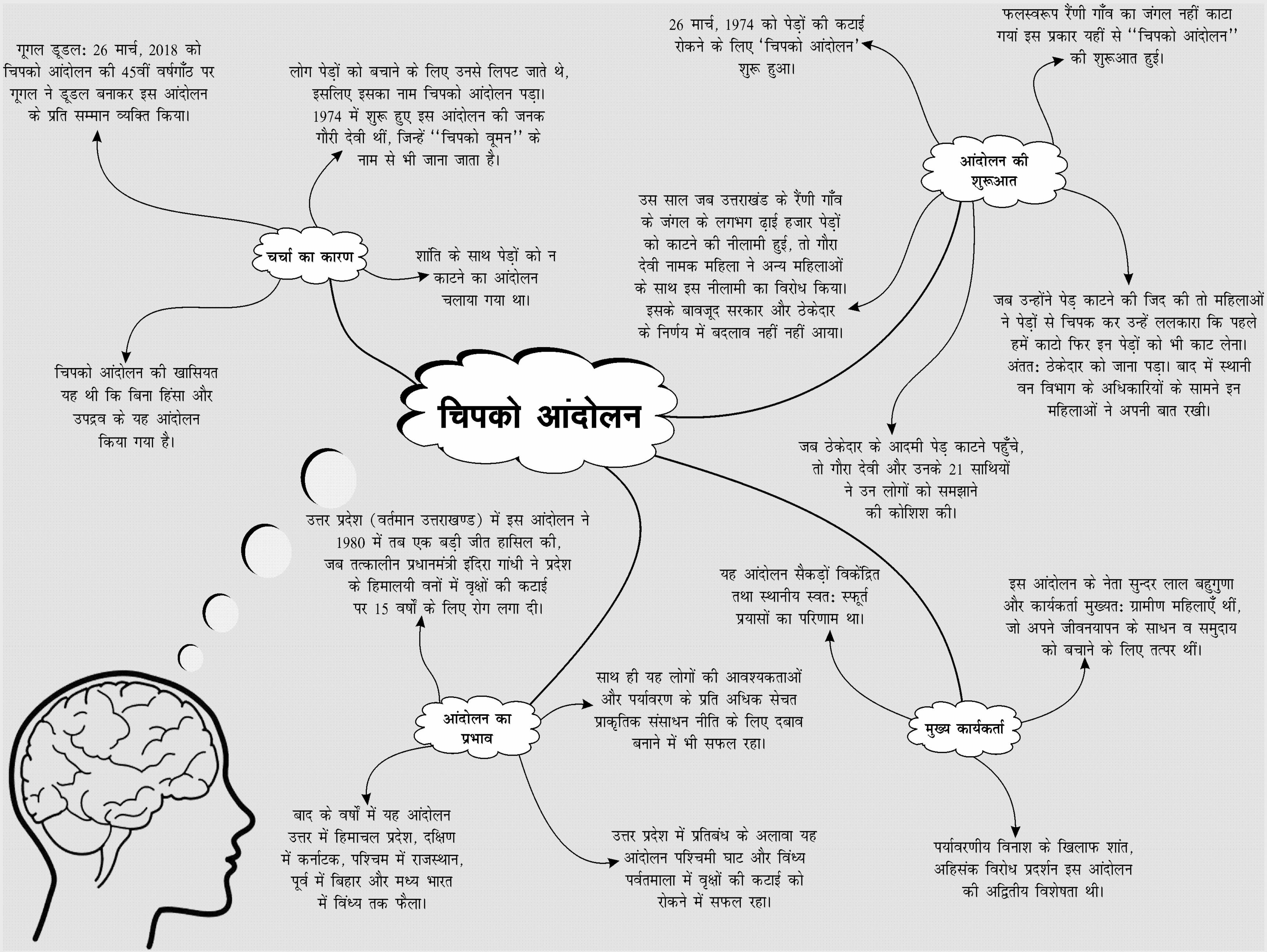
चिपको आंदोलन
आंदोलन की शुरूआत
फलस्वरूप रैंणी गाँव का जंगल नहीं काटा गयां इस प्रकार यहीं से ''चिपको आंदोलन'' की शुरूआत हुई।
26 मार्च, 1974 को पेड़ों की कटाई रोकने के लिए 'चिपको आंदोलन' शुरू हुआ।
उस साल जब उत्तराखंड के रैंणी गाँव के जंगल के लगभग ढ़ाई हजार पेड़ों को काटने की नीलामी हुई, तो गौरा देवी नामक महिला ने अन्य महिलाओं के साथ इस नीलामी का विरोध किया। इसके बावजूद सरकार और ठेकेदार के निर्णय में बदलाव नहीं नहीं आया।
जब उन्होंने पेड़ काटने की जिद की तो महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें ललकारा कि पहले हमें काटो फिर इन पेड़ों को भी काट लेना। अंतत: ठेकेदार को जाना पड़ा। बाद में स्थानी वन विभाग के अधिकारियों के सामने इन महिलाओं ने अपनी बात रखी।
जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने पहुँचे, तो गौरा देवी और उनके 21 साथियों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की।
चर्चा का कारण
गूगल डूडल: 26 मार्च, 2018 को चिपको आंदोलन की 45वीं वर्षगाँठ पर गूगल ने डूडल बनाकर इस आंदोलन के प्रति सम्मान व्यक्ति किया।
लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। 1974 में शुरू हुए इस आंदोलन की जनक गौरी देवी थीं, जिन्हें ''चिपको वूमन'' के नाम से भी जाना जाता है।
शांति के साथ पेड़ों को न काटने का आंदोलन चलाया गया था।
चिपको आंदोलन की खासियत यह थी कि बिना हिंसा और उपद्रव के यह आंदोलन किया गया है।
मुख्य कार्यकर्ता
इस आंदोलन के नेता सुन्दर लाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यत: ग्रामीण महिलाएँ थीं, जो अपने जीवनयापन के साधन व समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थीं।
यह आंदोलन सैकड़ों विकेंद्रित तथा स्थानीय स्वत: स्फूर्त प्रयासों का परिणाम था।
पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ शांत, अहिसंक विरोध प्रदर्शन इस आंदोलन की अद्वितीय विशेषता थी।
आंदोलन का प्रभाव
उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखण्ड) में इस आंदोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोग लगा दी।
साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सेचत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाव बनाने में भी सफल रहा।
बाद के वर्षों में यह आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक फैला।
उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा।

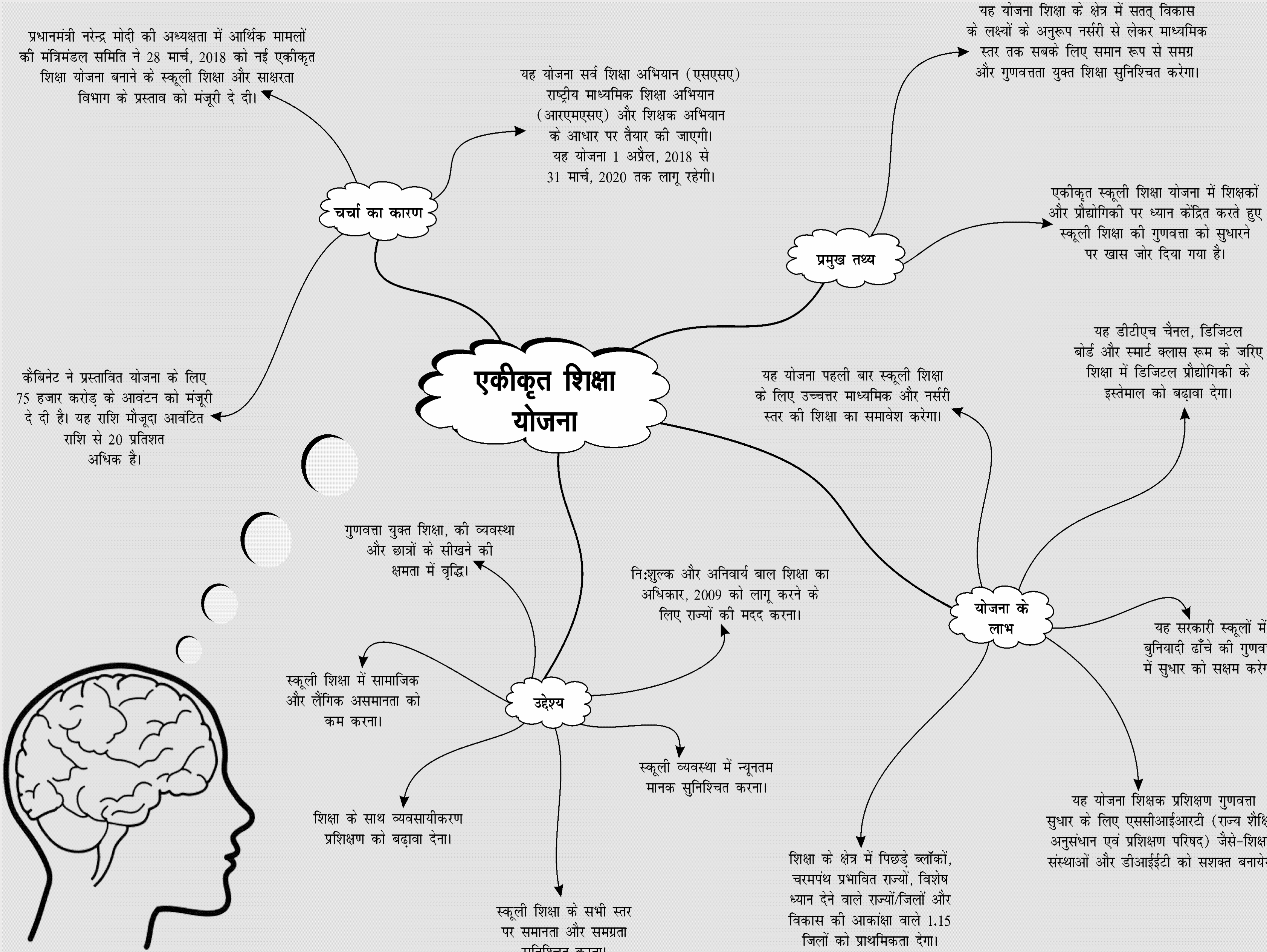
एकीकृत शिक्षा योजना
चर्चा का कारण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 28 मार्च, 2018 को नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ के आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।
यह योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक अभियान के आधार पर तैयार की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगी।
प्रमुख तथ्य
यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्तता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करेगा।
एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है।
योजना के लाभ
यह योजना पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चत्तर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश करेगा।
यह डीटीएच चैनल, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास रूम के जरिए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा।
यह सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार को सक्षम करेगा।
यह योजना शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए एससीआईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) जैसे-शिक्षक संस्थाओं और डीआईईटी को सशक्त बनायेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉकों, चरमपंथ प्रभावित राज्यों, विशेष ध्यान देने वाले राज्यों/जिलों और विकास की आकांक्षा वाले 1.15 जिलों को प्राथमिकता देगा।
उद्देश्य
गुणवत्ता युक्त शिक्षा, की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि।
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना।
स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना।
स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।

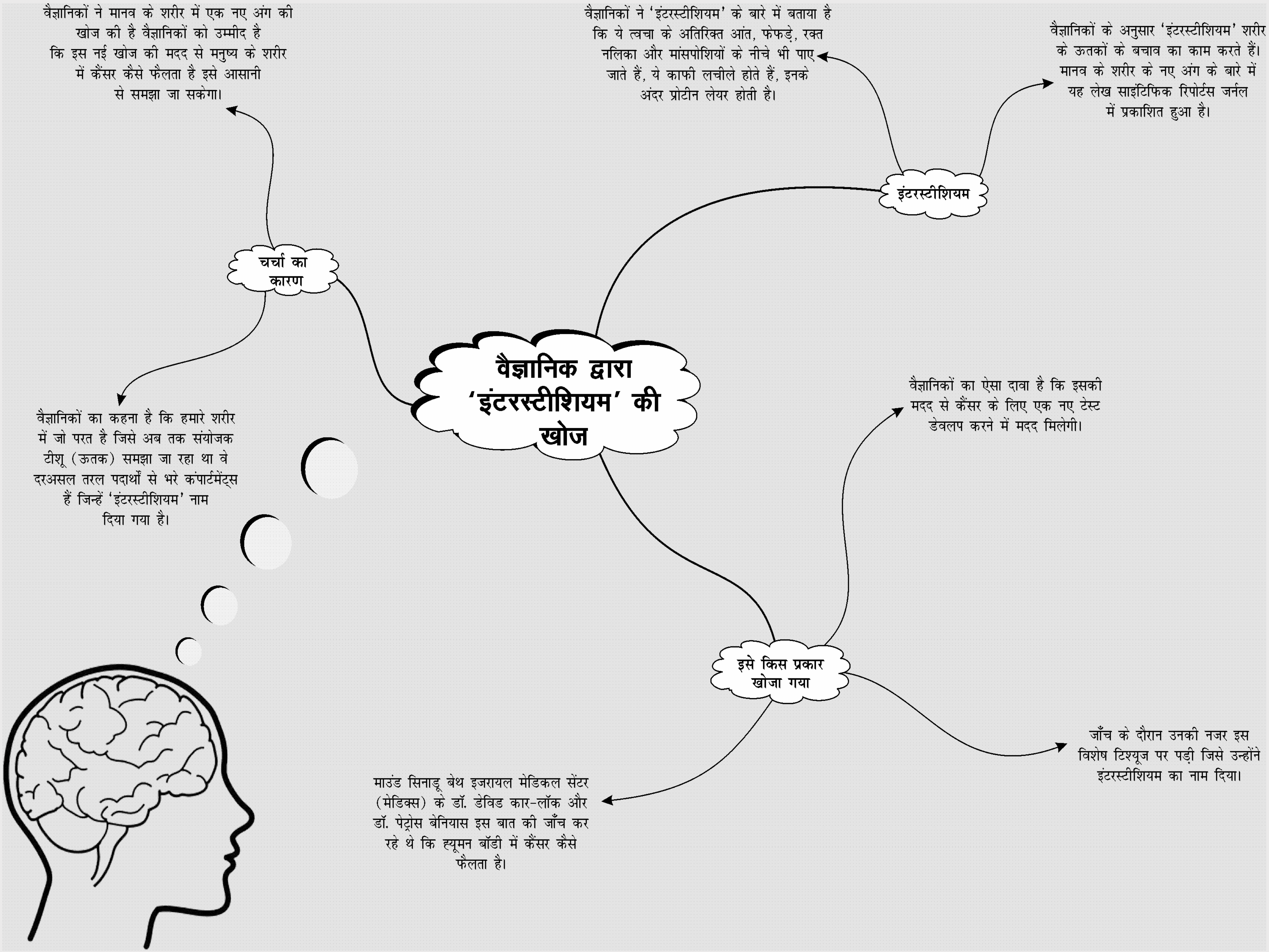
वैज्ञानिक द्वारा 'इंटरस्टीशियम' की खोज
इंटरस्टीशियम
वैज्ञानिकों ने 'इंटरस्टीशियम' के बारे में बताया है कि ये त्वचा के अतिरिक्त आंत, फेफड़े, रक्त नलिका और मांसपेशियों के नीचे भी पाए जाते हैं, ये काफी लचीले होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन लेयर होती है।
वैज्ञानिकों के अनुसार 'इंटरस्टीशियम' शरीर के ऊतकों के बचाव का काम करते हैं। मानव के शरीर के नए अंग के बारे में यह लेख साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
चर्चा का कारण
वैज्ञानिकों ने मानव के शरीर में एक नए अंग की खोज की है वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस नई खोज की मदद से मनुष्य के शरीर में कैंसर कैसे फैलता है इसे आसानी से समझा जा सकेगा।
वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में जो परत है जिसे अब तक संयोजक टीशू (ऊतक) समझा जा रहा था वे दरअसल तरल पदार्थों से भरे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें 'इंटरस्टीशियम' नाम दिया गया है।
इसे किस प्रकार खोजा गया
वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि इसकी मदद से कैंसर के लिए एक नए टेस्ट डेवलप करने में मदद मिलेगी।
जाँच के दौरान उनकी नजर इस विशेष टिश्यूज पर पड़ी जिसे उन्होंने इंटरस्टीशियम का नाम दिया।
माउंड सिनाइू बेथ इजरायल मेडिकल सेंटर (मेडिक्स) के डॉ. डेविड कार-लॉक और डॉ. पेट्रोस बेनियास इस बात की जाँच कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी में कैंसर कैसे फैलता है।

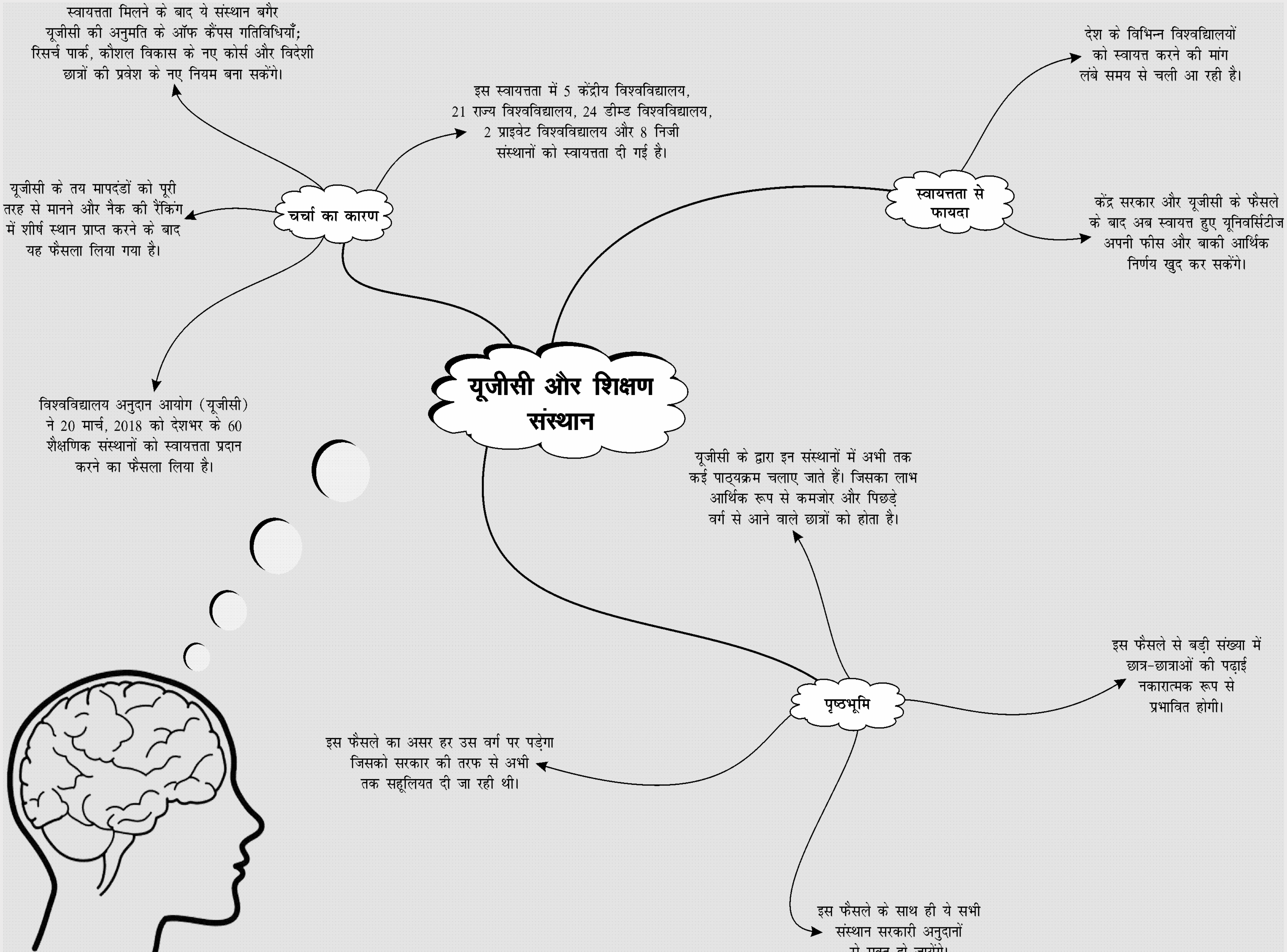
यूजीसी और शिक्षण संस्थान
चर्चा का कारण
स्वायत्तता मिलने के बाद ये संस्थान बगैर यूजीसी की अनुमति के ऑफ कैंपस गतिविधियाँ; रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए कोर्स और विदेशी छात्रों की प्रवेश के नए नियम बना सकेंगे।
इस स्वायत्तता में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड विश्वविद्यालय, 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय और 8 निजी संस्थानों को स्वायत्तता दी गई है।
यूजीसी के तय मापदंडों को पूरी तरह से मानने और नैक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 20 मार्च, 2018 को देशभर के 60 शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने का फैसला लिया है।
स्वायत्तता से फायदा
देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को स्वायत्त करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है।
केंद्र सरकार और यूजीसी के फैसले के बाद अब स्वायत्त हुए यूनिवर्सिटीज अपनी फीस और बाकी आर्थिक निर्णय खुद कर सकेंगे।
पृष्ठभूमि
यूजीसी के द्वारा इन संस्थानों में अभी तक कई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। जिसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को होता है।
इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।
इस फैसले का असर हर उस वर्ग पर पड़ेगा जिसको सरकार की तरफ से अभी तक सहूलियत दी जा रही थी।
इस फैसले के साथ ही ये सभी संस्थान सरकारी अनुदानों से मुक्त हो जायेंगे।

कृषि विज्ञान केंद्र

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 31 मार्च, 2017 तक स्थापित 669 कृषि विज्ञान केंन्द्रों एवं 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों की वर्ष 2019-20 तक निरंतरता/सुदृढ़ीकरण संबंधी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए केवीके योजना [कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय (डीकेएमए) सहित] का वित्तीय परिव्यय 2, 82,400.72 लाख रूपये का होगा।

पृष्ठभूमि

- 31 मार्च, 2017 तक 669 केवीके की स्थापना की गई है, जो जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के रूप में काम कर रहे हैं।
- केवीके योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के तहत शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण के जरिए संचालित किया जा रहा है।
- इन्हें प्रौद्योगिकी के आकलन और इसके विभिन्न अनुप्रयोगों एवं क्षमता विकास को प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके अलावा, केवीके गुणवत्तापूर्वक प्रौद्योगिकी उत्पादों (बीज, रोपण सामग्री, बॉयो-एजेंट, पशुधन) उत्पादन करते हैं एवं किसानों को उपलब्ध कराते हैं, विस्तार गतिविधियाँ आयोजित करते हैं।

केवीके के तहत उपलब्धियाँ

- जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कठिन माने जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में 151 जलवायु स्मार्ट गाँवों की स्थापना कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं इनमें कमी करने संबंधी रणनीतियाँ क्रियान्वित करना।
- 'मेरा गाँव-मेरा गौरव' पहल के तहत अनुसंधान प्रणाली से 13,500 गाँवों को जोड़ना।
- 'कृषि में युवाओं को आकर्षित करना एवं बनाए रखना (आर्य)' शीर्षक वाले कार्यक्रम के तहत आर्थिक उद्यम शुरू करने के लिये 4400 युवाओं को सशक्त बनाना।
- 100 केवीके ने कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है तथा कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से 154 और केवीके को कौशल विकास से जोड़ा गया है।
- केवीके स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं को भी राष्ट्रीय मुख्य धारा में ला रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध ज्ञान एवं प्रथाएँ भी शामिल हैं।

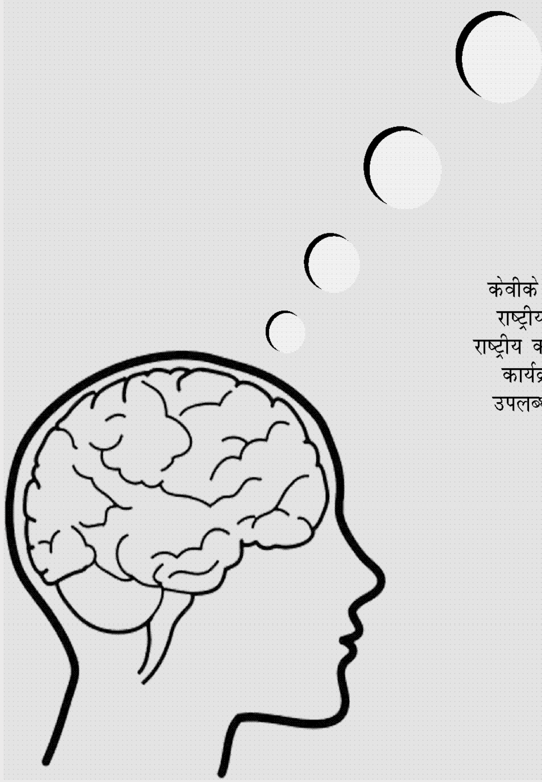

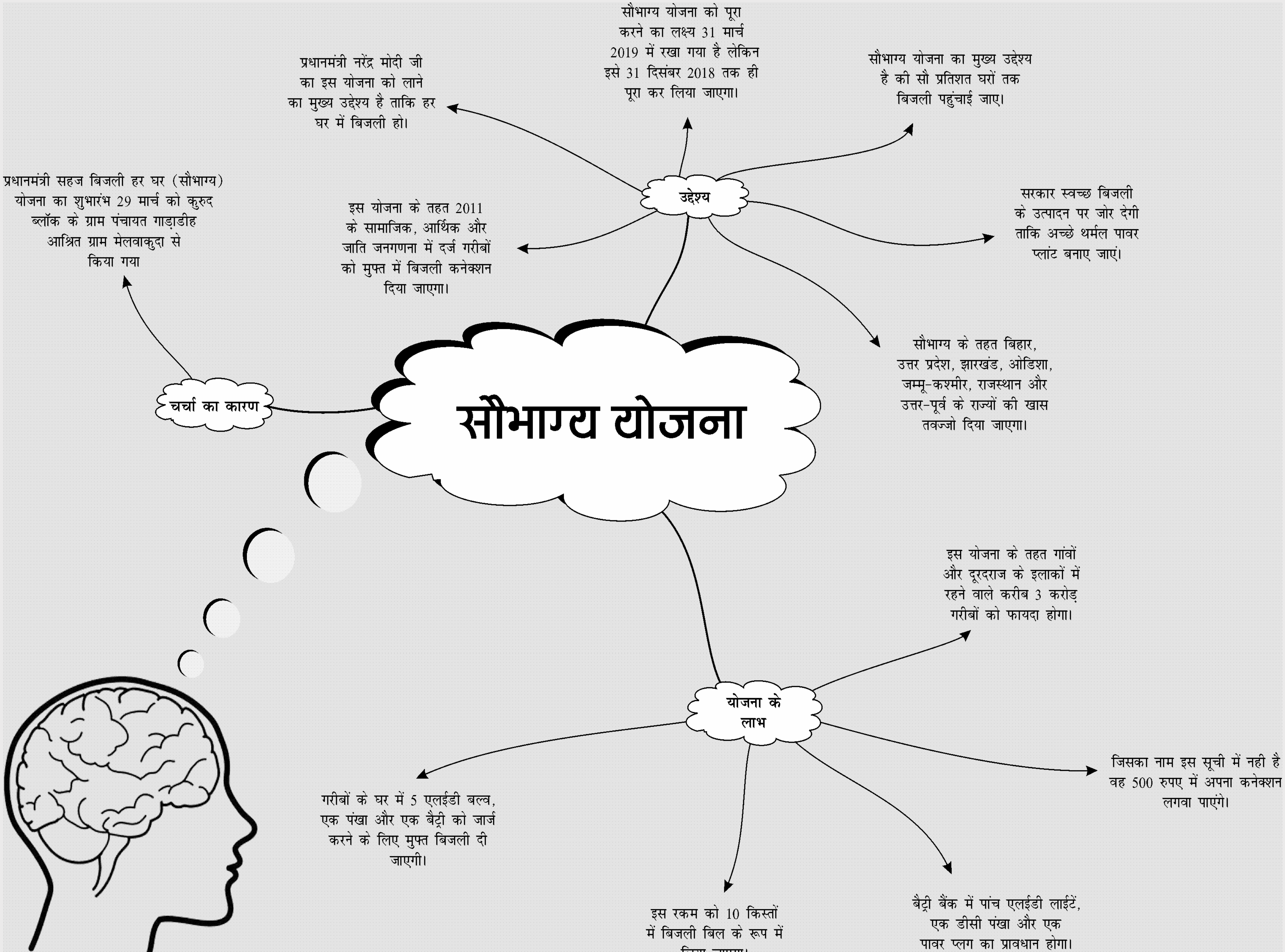
सौभाग्य योजना
उद्देश्य
सौभाग्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च 2019 में रखा गया है लेकिन इसे 31 दिसंबर 2018 तक ही पूरा कर लिया जाएगा।
सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है की सौ प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाई जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य है ताकि हर घर में बिजली हो।
इस योजना के तहत 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में दर्ज गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
सरकार स्वच्छ बिजली के उत्पादन पर जोर देगी ताकि अच्छे थर्मल पावर प्लांट बनाए जाएं।
सौभाग्य के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तर-पूर्व के राज्यों की खास तवज्जो दिया जाएगा।
चर्चा का कारण
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर (सौभाग्य) योजना का शुभारंभ 29 मार्च को कुरुद ब्लॉक के ग्राम पंचायत गाड़ाडीह आश्रित ग्राम मेलवाकुदा से किया गया
योजना के लाभ
इस योजना के तहत गांवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले करीब 3 करोड़ गरीबों को फायदा होगा।
जिसका नाम इस सूची में नही है वह 500 रुपए में अपना कनेक्शन लगवा पाएंगे।
बैट्री बैंक में पांच एलईडी लाईटें, एक डीसी पंखा और एक पावर प्लग का प्रावधान होगा।
इस रकम को 10 किस्तों में बिजली बिल के रूप में लिया जाएगा।
गरीबों के घर में 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैट्री को जार्ज करने के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. सरमत मिसाइल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ''सरमत'' मिसाइल सोवियत युग में डिजाइन किए गए 'वोयेवोडा' की जगह लेगी।
2. वोयेवोडा दुनियाँ की सबसे भारी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पश्चिमी देशों में शैतान के नाम से जाना जाता है।
3. नवीनतम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) 'सरमत' का वजन 200 मीट्रिक टन है लेकिन यह वोयेवोडा से कम लंबी दूरी तक ही मार कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (a)

व्याख्या: हाल ही में रूस द्वारा एक नवीनतम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल 'सरमत' का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल सोवियत युग में डिजाइन किए गए वोयेवोडा की जगह लेगी। वोयेवोडा दुनिया की सबसे भारी आईसीबीएम मिसाइल है जिसे पश्चिमी देशों में शैतान के नाम से जाना जाता है। सरमत मिसाइल का वजन 200 मीट्रिक टन है और यह वोयेवोडा से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करेगी अतः विकल्प (a) सही होगा। ■

2. चिपको आंदोलन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में 26 मार्च को चिपको आंदोलन की 45वीं वर्षगाँठ मनाई गई।
2. चिपको आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था, इसकी जनक गौरी देवी थीं जिन्हें चिपको वूमन के नाम से जाना जाता है।
3. चिपको आंदोलन शांति के साथ पेड़ों को न काटने के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2, 3

उत्तरः (d)

व्याख्या: हाल ही में 26 मार्च को गूगल द्वारा चिपको आंदोलन की 45वीं वर्षगाँठ पर डूडल बनाया गया। ज्ञात हो कि चिपको आंदोलन की शुरूआत 26 मार्च 1974 को पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरूआत उत्तराखण्ड से हुई थी और इस आंदोलन की जनक गौरी देवी थी। इन्हें चिपको वूमन कहा जाता है। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे यह आंदोलन बड़ा ही शांतिपूर्ण था। इसके प्रमुख नेता सुंदर लाल बहुगुणा थे। इसीलिए उत्तर (c) होगा। ■

3. एकीकृत शिक्षा योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है।

(a) हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के लिए 'स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग' के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(b) यह योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक अभियान के आधार पर तैयार की जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी।

(c) कैबिनेट ने प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।

(d) यह योजना पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों का भी समावेश करेगी।

उत्तरः (d)

व्याख्या: हाल ही में 28 मार्च 2018 को नई एकीकृत शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक लागू की जाएगी एवं इसका लक्ष्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ शिक्षा में समावेशीकरण को बढ़ाना है। इसमें पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा समावेश किया गया इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को नहीं शामिल किया गया अतः (d) गलत है। ■

4. वैज्ञानिकों द्वारा 'इंटरस्टीशियम' की खोज

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक नए अंग इंटरस्टीशियम की खोज की है। इस खोज से वैज्ञानिक मानव शरीर में कैंसर के फैलने के कारणों का पता लगा सकते हैं।
2. वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में जो परत है जिसे अब तक संयोजक टीशू (ऊतक) समझा जा रहा था वे दरअसरल तरल पदार्थों से भरे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें 'इंटरस्टीशियम' नाम दिया गया है।
3. इंटरस्टीशियम त्वचा के अतरिक्त आंत, फेफडे, रक्त नलिका और मांसपेशियों के नीचे पाए जाते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः वैज्ञानिकों ने मानव के शरीर में एक नए अंग इंटरस्टीशियम की खोज की। इस खोज से वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि मानव शरीर में कैंसर कैसे फैलता है तथा इससे कैंसर के लिए एक नए टैस्ट डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। इंटरस्टीशियम त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ये मुख्यतः प्रोटीन लेयर के बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से नही। अतः कथन 3 गलत हैं। ■

5. यूजीसी और शिक्षण संस्थान

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है?

(a) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 20 मार्च को देश भर के 60 शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने का फैसला लिया है।

(b) स्वायत्तता मिलने के बाद ये संस्थान बगैर यूजीसी की अनुमति के ऑफ कैंपस गतिविधियाँ, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए कोर्स और विदेशी छात्रों के प्रवेश के नए नियम बना सकेंगे।

(c) यूजीसी की स्वायत्तता मिलने के बावजूद भी सभी संस्थान सरकारी अनुदानों से मुक्त नहीं होंगे उन्हें सरकारी अनुदान मिलता रहेगा।

(d) इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की पढ़ाई नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में यूजीसी द्वारा 60 शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता दी गई। इसमें 5 केन्द्रीय विद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड विश्वविद्यालय 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय, और 8 निजी संस्थानों को स्वायत्तता दी गई है। इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्र की पढ़ाई नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी क्योंकि इससे सभी विद्यालय अपनी फीस और बाकी आर्थिक निर्णय अपनी मर्जी से कर सकेंगे। इस फैसले से सभी संस्थान सरकारी अनुदानों से मुक्त हों जाएंगे अतः उत्तर (c) होगा। ■

6. कृषि विज्ञान केन्द्र

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. हाल ही में सरकार द्वारा 669 कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु 'कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग' की स्थापना की मंजूरी दी गई।
2. केवीके योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के तहत संचालित किया जा रहा है।
3. केवीके योजना के तहत 'मेरा गाँव-मेरा गौरव' पहल से 13500 गाँवों को जोड़ा जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2

(b) केवल 2 व 3

(c) केवल 3 व 1

(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में कृषि विज्ञान केन्द्रों के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के लिए एक अलग अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके तहत 31 मार्च 2017 तक 669 केवीके की स्थापना की गई है जो जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों पर काम कर रहे हैं। केवीके को कौशल विकास कार्यक्रम से भी जोड़ा जा रहा है और इसी के अंतर्गत 'मेरा गाँव-मेरा गौरव' पहल चलाई जा रही है अतः सभी कथन सत्य हैं। ■

7. सौभाग्य योजना

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है?

(a) सौभाग्य योजना के तहत 2011 के सामजिक आर्थिक और जाति जनगणना में दर्ज गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

(b) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर (सौभाग्य) योजना का शुभारंभ 29 मार्च को कुरूद ब्लॉक के ग्राम पंचायत गाड़ाडीह आश्रित ग्राम मेलवाकुदा से किया गया।

(c) सौभाग्य योजना के तहत गरीबों के घर में 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैट्री को चार्ज करने के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।

(d) जिनका नाम इस सूची में नहीं है वह अपनी बिजली कनेक्शन 2000 रु में करवा सकते हैं।

उत्तरः (d)

व्याख्याः सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य 100% घरों तक बिजली पहुँचाना है। इस योजना के तहत गाँवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले करीब 3 करोड़ गरीबों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में दर्ज गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा अन्य लोगों को 500 रु में नया कनेक्शन दिया जाएगा अतः कथन (d) गलत है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है असंभव से भी आगे निकल जाना।

-स्वामी विवेकानंद

2. तुम कुछ व्यक्तियों को सदैव मूर्ख बना सकते हो और सभी व्यक्तियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, किन्तु तुम सबको सदैव मूर्ख नहीं बना सकते।

-लिंकन

3. उत्साह प्रयास की जननी है, इसके बिना आज तक कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की गयी।

-रॉल्फ वाल्डो इमरसन

4. बुद्धिमान लोगों को सलाह की जरुरत नहीं होती और मुर्ख लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

-बेंजामिन फ्रेंक्लिन

5. जीवन में कोई मनुष्य किसी से इतना धोखा नहीं खाता जितना की अपने आप से।

-ग्रेवल

6. कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरुरत होती है जबकि ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओ की जरूरत होती है।

-चाणक्य

7. विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है।

-रवींद्रनाथ ठाकुर

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. हाल ही में किसे आर्मेनिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है?

- आर्मेन सर्किसियन

2. हाल ही में विश्व का पहला प्लास्टिक फ्री सुपर मार्केट कहाँ पर शुरू किया गया है?

- एम्स्टर्डम (नीदरलैंड)

3. हाल ही में पाकिस्तान में राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- समिना बेग (पर्वतारोही)

4. हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- विनय कुमार

5. हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- कॉनराड संगमा (एनपीपी अध्यक्ष)

6. हाल ही में किस देश ने इस्पात के आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की हैं?

- अमेरिका ने

7. हाल ही में किस देश ने होली पर डाक टिकट जारी किया है?

- गुयाना

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में घातक तंत्रिका एजेंट नोविचोक का उपयोग क्या रासायनिक हथियार सम्मेलन की विफलता को दर्शाता है? चर्चा कीजिए।

2. भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में शी जिनपिंग के विस्तारित कार्यकाल के प्रभावों की जांच करें।

3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के उद्देश्य क्या हैं? इस योजना को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय के महत्व का उल्लेख करें।

4. भारत जैसे संघीय व्यवस्था में, राज्यों के लिए वित्तीय और सांस्कृतिक स्वायत्तता क्यों महत्वपूर्ण है? विश्लेषण करें।

5. भारत में एक शक्तिशाली, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र केंद्रीय न्यायिक संस्था के रूप में संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय की विकास-यात्रा का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

6. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एससी/एसटी एक्ट फैसले पर व्याप्त असंतोष गंभीर चिंता का विषय है, जो उच्च जाति एवं निम्न जातियों के बीच के अंतर को और बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

7. एक जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्था कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसे में खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा करते हुए बताएँ कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने और इस समस्या के निदान हेतु सरकार को क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए?

ध्येय IAS most trusted since 2003

***EDGE for* IAS**

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST :	DAILY Q & A CHECKING
VIDEOS:	ARTICLE ANALYSIS
CURRENT AFFAIRS:	ESSAY
DISCUSSION	AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और **Ethics case study** ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

You did it...

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

Entire Dhyeya IAS Family Proudly Congratulate our Success Makers in **IAS-2016** Examination and wishes them a Bright & Shining Future Ahead...

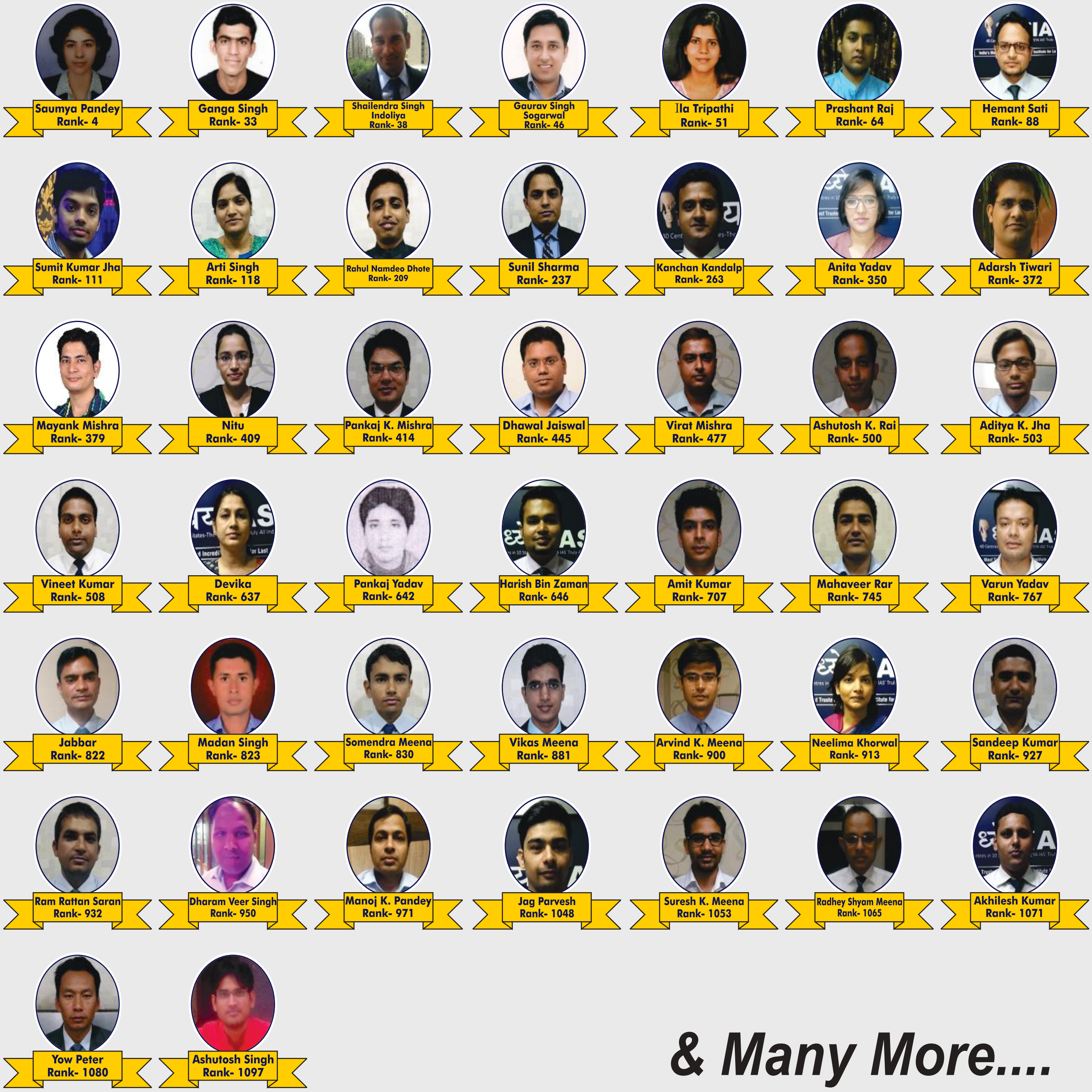

& Many More....